केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश

भारतीयकृ षिअ नुसंधानप रिषद
नईि दल्ली

www.icar.org.in

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश

भाकृअनुप
ICAR

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली

दिसम्बर, 2014

मुद्रित : अगस्त 2015

सहायक महानिदेशक (एचआरडी), कृषि शिक्षा विभाग

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संकलित तथा प्रकाशित

मैसर्स रॉयल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए–89/1, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया–1, नई दिल्ली 110028 द्वारा मुद्रित

प्राक्कथन

आम लोगों को उच्च शिक्षा उपलब्ध न हो पाना और दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता एक चुनौती बनी हुई है। वर्तमान में, भारत की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 50 प्रतिशत से अधिक आबादी को कृषि से रोजगार और आजीविका मिलती है, फिर भी कृषि शिक्षा को अभी भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उचित स्थान दिया जाना है। यद्यपि हाल ही में शिक्षा संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पूरे देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ हद तक अवसंरचना में सुधार हुआ है, तथापि यह अपर्याप्त है। हालांकि कैम्पसों में अनुकूल शिक्षा और अनुसंधान का वातावरण बनाने के लिए विश्विवद्यालयों और संस्थानों को निधियों की निरन्तर कमी इस स्थिति का एक प्रमुख कारण रही है, तथापि अभिशासन की कमी और खराब गुणवत्ता तथा सस्थानों में संकाय की संख्या भी प्रमुख अड़चने हैं। यदि हम वास्तव में इस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं तो इस समय हम इन मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभ (युवाओं की सबसे अधिक जनसंख्या) से न केवल एक ज्ञान-सृजक देश के रूप में उभर सकता है बल्कि वह एक ज्ञान-दाता देश भी हो सकता है। कुशल मानव संसाधन के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई जानकारी के अनुप्रयोग से विविध कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कृषि पर सतत् बल प्रदान की प्रेरणा मिलेगी। एक व्यापक और ठोस नीति तथा उसके प्रभावकारी क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग की प्रतिबद्धता से ऐसा हो सकता है। यद्यपि यह सत्य है कि उच्च शिक्षा राज्य का विषय बनी हुई है और पूरे क्षेत्र और देश में एक-समान मानक और कार्यविधि लाना कठिन हो जाता है, लेकिन एक से दूसरे में कुछ किए जा सकने वाले अन्तर के साथ इनका समाधान किया जा सकता है। हम यह भी जानते हैं कि शिक्षा संविधान की स्कीम के अन्तर्गत समवर्ती सूची में है। संघ सरकार और राज्य संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व का पालन करते हैं और राज्यों के उत्तरदायित्वों में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में जनशक्ति के विकास और शैक्षिक पिरामिड के तृतीय स्तर पर शिक्षा में उत्कृष्टता लाने के संबंध में शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत स्वरूप का पुन:प्रवर्तन, शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण, शैक्षिक अपेक्षाओं का अध्ययन और मॉनीटरिंग शामिल है। आधुनिकतम सुविधाओं के साथ देश में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों (सीएयू) की स्थापना करने के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भारत सरकार) के निर्णय से न केवल इसकी अपनी स्थापना में परिवर्तन होगा बल्कि इससे सभी राज्यों और क्षेत्रों में परियोजना एकीकरण और समन्वय के माध्यम से राज्यों को शिक्षा और अनुसंधान में अग्रणी भूमिका भी मिलेगी। यद्यपि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय उस क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में पारिस्थितिकी-क्षेत्रीय समस्याओं का प्रभावकारी समाधान करेंगे जहां वे स्थापित किए जाते हैं, तथापि अग्रणी क्षेत्रों में उत्तम श्रेणी के मानव संसाधन और अनुसंधान प्रौद्योगिकियों का विकास करने में उनकी प्रमुख भूमिका होगी। कृषि-जलवायु आधार पर स्थापित, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मौजूदा क्षेत्रीय, शिक्षण और लिंग संबंधी असन्तुलनों को सही करेंगे और गुण-सम्पन्न शिक्षा तक पहुंच में भी वृद्धि करेंगे। यद्यपि हमें उच्च शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्ट अवसंरचना और वातावरण का निर्माण करने की आवश्यकता है, तथापि फील्ड स्तर पर कुशल तकनीकी व्यक्ति तैयार करने और कृषि से संबद्ध विभिन्न क्षेत्रों नामत: पोस्ट-हार्वेस्ट प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन, भंडारण, ढुलाई, विपणन आदि में मध्यत स्तर पर कृषि प्रबंधक तैयार

करने के लिए समग्र रूप से कार्रवाई करनी होगी। पारिस्थितिकी की दृष्टि से कृषि में ठोस संवृद्धि लाने के लिए कृषि और उन्नत प्रौद्योगिकियों का ज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। करने के लिए दी जाने वाली शिक्षा से वर्तमान प्रणाली में मुश्किल से ही परिवर्तन हो सकता है। इन सबको करने के लिए एक ठोस और परिवर्तनशील नीति की आवश्यकता है। शिक्षणों में विश्वविद्यालयों के वियोजन से व्यापक शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के प्रयोजन पर ही प्रभाव पड़ रहा है। इस पर ध्यान देने का यह उचित समय है और हमें बीच में ही सुधार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।

ऊपर उल्लिखित कारणों की वजह से विभिन्न राज्यों द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग बढ़ रही है। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सभी पहलुओं का विश्लेषण करने और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों पर एक दस्तावेज तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति ने अपने विचार-विमर्श के दौरान प्रमुख संस्थानों और संगठनों, नामतः आईआईटी, आईआईएस, आईआईएसईआर, आईआईएम, डीएसटी, यूजीसी, आईसीएआर, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भाकृअनुप प्रणाली में मानद विश्वविद्यालयों और अन्यों में शिक्षा और अनुसंधान में विशेषज्ञों के साथ व्यापक रूप से परामर्श किया। हमने राज्य कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता, स्थापना, स्वायत्ता और अभिशासन संरचना तथा विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की शक्तियों तथा कार्यों के संबंध में और अन्य संबंधित मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि के साथ जो भी नीति तैयार और क्रियान्वित की गई है, उसका प्रभाव दिखाई दिया है। हम दिशा-निर्देशों को स्वीकार करने और कार्यान्वयन से इस प्रभाव की परिकल्पना करते हैं। प्रस्तावित दिशा-निर्देशों में ऊपर उल्लिखित सभी मुद्दे शामिल हैं और उच्च शिक्षा पर सरकार की समूची प्राथमिकताओं और विजन को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें की गई हैं।

मैं माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक, भाकृअनुप का इस पहल के लिए तथा यह कार्य समिति को सौंपने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं समिति के सदस्यों का भी इस दस्तावेज को तैयार करने में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद करता हूं। परामर्शदात्री बैठकों में शामिल हुए सभी विशेष प्रतिभागियों का भी उनके द्वारा दी गई जानकारियों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर बैठकों की कार्यवाहियों में सुविधा देने के लिए मैं कृषि शिक्षा प्रभाग के स्टॉफ की सराहना करता हूं। मुझे आशा है कि यह दस्तावेज केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने और सामान्य रूप से राष्ट्र के स्थायी विकास और विशेष रूप से कृषि विकास करने में आधार दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा।

पंजाब सिंह
अध्यक्ष

विषय-सूची

प्राक्कथन *iii*

1. प्रस्तावना 1
   - (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता 2
   - (ii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए व्यावहार्यता का मूल्यांकन करना 4
2. सामान्य मार्ग-निर्देश 4
   - (i) स्थापना 4
   - (ii) क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र 5
   - (iii) अभिशासन 5
   - (iv) विश्वविद्यालय की स्वायत्तता : प्रशासनिक, शैक्षिक और वित्तीय 6
   - (v) संकाय की भर्ती 6
   - (vi) शैक्षिक कार्यक्रम 6
   - (vii) प्रवेश 7
   - (viii) अनुसंधान 7
   - (ix) वित्तपोषण के लिए स्वायत्तता 8
   - (x) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की शक्तियां 8
   - (xi) अभिशासन संरचना 10
   - (xii) कुलाध्यक्ष 10
   - (xiii) विश्वविद्यालय के अधिकारी 11
     - *कुलाधिपति* *11*
     - *कुलपति* *11*
     - *संकायाध्यक्ष एवं निदेशक* *12*
     - *पंजीयक* *12*
     - *लेखा-नियंत्रक* *12*
   - (xiv) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी 12
     - *प्रबंधन बोर्ड* *12*
     - *शैक्षिक परिषद* *13*
     - *अनुसंधान परिषद* *13*
     - *विस्तार शिक्षा परिषद* *13*
     - *वित्त समिति* *13*
     - *संकाय* *13*
     - *अध्ययन बोर्ड* *13*
     - *अन्य प्राधिकारी* *13*
     - *संविधि बनाने की शक्ति* *13*

संविधि – किस तरह बनायी जाए *14*
अध्यादेश बनाने का अधिकार *15*
विनियम बनाने की शक्ति *16*
3. अनुबंध–I 17
अनुबंध–II 22
अनुबंध–III 44
अनुबंध–IV 46
अनुबंध–V 49
अनुबंध–VI 59
अनुबंध–VII 60
अनुबंध–VIII 64
अनुबंध–IX 66

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

भारत ने कृषि और सम्बद्ध विज्ञान में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया है जो अनुसंधान और विस्तार के लिए एक सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार बनाने के लिए अग्रणी रहा है, जिससे हरित क्रांति आई है। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुसार कृषि शिक्षा सहित कृषि राज्य का विषय है, तथापि केन्द्रीय सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) को देश में कृषि शिक्षा का समन्वय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डेयर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि शिक्षा को विनियमित करने के मामलों में इस कार्य को उसी प्रकार कर रहा है जैसे विश्विवद्यालय अनुदान आयोग गैर-कृषि शिक्षा के लिए कर रहा है। राज्य में राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) की स्थापना संबंधित राज्य के विधायी अधिनियम को अधिनियमित करके की जाती है। प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि अनुदान पद्धति पर 1960 में पंतनगर [उत्तर प्रदेश (अब उत्तराखंड में), स्थापित किया गया था। अन्य राज्यों में और अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ इसका अनुसरण किया गया था। इस समय, अधिकांश राज्यों में एक या अधिक कृषि विश्वविद्यालय हैं। कुल मिलाकर, 59 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, पांच मानद विश्वविद्यालय (जिनमें से चार भाकृअनुप के संघटक संस्थान हैं), सुदृढ़ कृषि संकाय के साथ चार केन्द्रीय विश्वविद्यालय और उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए दो केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) हैं। पहले स्थापित किए गए सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को उनकी राज्य सरकारों से बहुत अधिक सहायता मिली और इसलिए उनका अच्छा विकास हुआ तथा इससे संबंधित राज्य में कृषि का काफी विकास हुआ। तथापि, समय के साथ-साथ, विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में वित्तीय बाधाओं, वित्तीय स्वायत्तता समाप्त होने, व्यापक इनब्रीडिंग, अपेक्षित प्रौद्योगिकी और अवसंरचना में विषमता होने के साथ इस स्थिति में नाटकीय रूप से परिवर्तन हो गया।

विश्व में सबसे बड़े उच्च कृषि शिक्षा नेटवर्क्स में एक नेटवर्क होने के बावजूद केवल कुछ ही अध्यापन संस्थान विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ सके हैं। देश में उच्च कृषि शिक्षा के समक्ष कई मुद्दे हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे नामांकन की कम दरें, अन्तर-क्षेत्रीय असमानताएं, शिक्षा की गुणवत्ता, योग्य संकाय की समस्या है और इन सबसे ऊपर खराब अभिशासन तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का कम वित्तपोषण होना है। उच्च कृषि शिक्षा में संस्थागत नवोन्मेषन क्षमता में कृषि शिक्षा और विस्तार की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रस्तावित प्रमुख नीतिगत पहलों में उन्नत संस्थागत और अनुसंधान सुविधाएं मुहैया करके नई प्रौद्योगिकी और ज्ञान का विकास तथा प्रचार-प्रसार करने के लिए और आवश्यकता आधारित नवोन्मेषन और अन्तर-विधा अध्यापन तथा अनुसंधान का विकास करने के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करना शामिल है। भारत बुजूर्गों की बढ़ रही संख्या के कारण तेजी से बढ़ रही वैश्विक जनसांख्यिकीय गिरावट को सन्तुलित करने में प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है और यह न केवल ज्ञान सृजन करने वाले देश बल्कि ज्ञान प्रदाता देश के रूप में भी उभर सकता है। इस प्रयास में कृषि शिक्षा एक प्रमुख भागीदार बन सकती है। ये सभी तथ्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अपेक्षा करते हैं कि वह केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक सुसंगत और व्यापक नीति तैयार करे जिसका उद्देश्य एक सफल, प्रतियोगी कार्यबल तैयार करने के लिए उत्कृष्टता

प्रदान करना, क्षमता निर्माण में संस्थागत विविधता लाना और सहयोग देना हो। तदनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के अभिशासन, शैक्षणिक, प्रशासन और संकाय संबंधी आवश्यकता के संबंध में एक मॉडल फ्रेमवर्क के अतिरिक्त केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आवश्यकता और व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए मार्ग-निर्देश तैयार करने हेतु दिनांक 20 मई, 2013 के कार्यालय आदेश सं. एजुकेशन-27/1/2013-ईक्यूआर द्वारा निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक समिति गठित की।

1.	डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअनुप	अध्यक्ष
2.	डॉ. एस.एन. पुरी, कुलपति, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	सदस्य
3.	डॉ. एस.एल. मेहता, पूर्व कुलपति, एमपीयूए एंड टी, उदयपुर	सदस्य
4.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक, एनडीआरआई, करनाल	सदस्य
5.	डॉ. ए.के. सिंह, कुलपति, आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर	सदस्य
6.	डॉ. अरविन्दि कुमार, उप महानिदेशक (शिक्षा), भाकृअनुप, नई दिल्ली	सदस्य
7.	सहायक महानिदेशक (ईक्यूआर), भाकृअनुप, नई दिल्ली	*पदेन सदस्य*
8.	डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी)	सदस्य सचिव

उच्च कृषि शिक्षा के विभिन्न हितधारकों से सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से, समिति ने प्रतिनिधियों के साथ सलाह की जिनमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, भाकृअनुप के मानद विश्वविद्यालयों के निदेशक, भाकृअनुप के उप महानिदेशक और यूजीसी, आईआईएम और आईआईटी तथा अन्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके अभिशासन, शिक्षा, प्रशासन और संकाय की भर्ती के लिए दिशा-निर्देशों से संबंधित समिति की सिफारिशें इन गहन विचार-विमर्शों के आधार पर है। विभिन्न बैठकों की कार्यवाहियां भी संलग्न हैं।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता

इस समय भारतीय कृषि विकास की मध्यावस्था में है। 10वीं और 11वीं योजनाओं के दौरान, कृषि की वृद्धि 4 प्रतिशत के लक्ष्य से कम रही है। भारतीय कृषि में उत्पादकता का स्तर चिंता का कारण रहा है जब यह मौजूदा ऑन-फार्म उत्पादकता के स्तरों और अनुसंधान केन्द्रों पर हुई संभाव्य पैदावार में अत्यधिक कमी के साथ देखी गई। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 55 प्रतिशत (1950) से कम होकर 13.7 प्रतिशत (2012-13) होने के बावजूद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि लगभग 50 प्रतिशत आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है और कृषि से कई उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। विश्व अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ ही भारतीय किसानों को कृषि उपज की गुणवत्ता और लागत के संदर्भ में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी होना होगा। अत: चुनौतियों से निपटने के लिए कुशल मानव संसाधनों के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नए ज्ञान के अनुप्रयोग से देश के सभी विविध कृषि-जलवायु जोनों में विज्ञान-आधारित कृषि विकास और उत्पादकता में संधारणीय वृद्धि होगी।

मूलभूत और कार्य नीतिपरक अनुसंधान प्रौद्योगिकी में सफलता की नींव होता है। कई वर्षों से, मुख्यत रूप से, निश्चित विजन न होने, राज्य से अपर्याप्त वित्त-पोषण, संकाय संख्या, खराब अभिशासन, स्वायत्तता की कमी और प्रोत्साहन और प्रतिभा पलायन को रोके रखने के लिए वातावरण, व्यापक इन ब्रीडिंग और अच्छी शिक्षा और अनुसंधान के लिए पर्याप्त अवसंरचना की कमी के कारण अधिकांश राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी का सृजन और मानव क्षमता निर्माण वैश्विक परिवर्तन के अनुरूप नहीं हुआ है। समुचित संसाधनों के बिना नए और अथवा क्षेत्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों

की स्थापना से यह समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। व्यायपक अवधारणा यह है कि उच्च कृषि शिक्षा की यात्रा लगभग अवरुद्ध हो गई और राज्य कृषि विश्वविद्यालय पुन: अपना कार्य सामान्य रूप से करने लगे। अन्य बातों के बीच, विशिष्ट अनुसंधान-शिक्षा-विस्तार सहक्रिया समाप्त हो गई है, व्यापकता की तीव्रता कम हो गई है, और प्रवीणता और प्रतिभा का व्यापक क्षय हो गया है।

शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी केन्द्र की जिम्मेदारी है क्योंकि यह सामाजिक समानता और समग्र विकास और पोषणिक तथा खाद्य सुरक्षा लाने के सरकार के प्रयासों से बहुत नज़दीकी से जुड़ी हुई है। भारत ने राज्य कृषि विश्वविद्यालय अधिक संख्यों में स्थापित करके संसाधनों का विकास करने, गुणवत्तार की बजाय सब तक इसकी पहुंच और मात्रा पर ध्यान देने के लिए प्रयास किया है। भारत इस पहुंच से वापस पलट नहीं सकता और न ही अकुशल प्रणाली का विस्तार करके अपने उच्च कृषि शिक्षा के संसाधनों की बर्बादी ही कर सकता है। गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिए बिना लगातार विस्तार के परिणामस्वरूप केवल अपेक्षाकृत अधिक अकुशल प्रणाली होगी और शिक्षा मानकों, संकाय की संख्या और गुणवत्ता और अनुसंधान एवं विस्तार के परिणामों में और अधिक गिरावट आएगी। गुणवत्तोन्मुख होने का यही समय है। वर्तमान संदर्भ में, 100 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के वित्तमपोषण से आधुनिक सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करके यह काफी हद तक प्राप्त किया जा सकता है। राज्य सरकारों को भूमि, जल और बिजली आदि की आपूर्ति करनी होगी। ये विश्वविद्यालय भारत को आधुनिक प्रौद्योगिकियों का वैश्विक हब बनाने और क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अन्य राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के लिए उत्कृष्टता के लक्ष्य निर्धारित करने में अग्रणी होंगे। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को फार्म प्रौद्योगिकी विकास की मूलभूत और कार्यनीतिपरक अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को प्रौद्योगिकियों के परिष्करण, फील्ड परीक्षण और प्रदर्शन के लिए अग्रवर्ती सम्पर्क पद्धति में आगे प्रयास करने चाहिए जिनमें व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहनपरक प्रयास शामिल हैं। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के लिए पहला और मुख्य मानदण्ड उसके अनुसंधान की गुणवत्ता और उत्कृष्टता होगी जिसे किसानों, उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में इनके समकक्षों द्वारा मान्यता दी जाए। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की अवधारणा एकीकृत कृषि और सम्बद्ध सुविधाओं के समेकन को दिखाने की एक मॉडल विधि होगी। इसमें कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान, मात्स्यिकी विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि व्यवसाय, प्रबंधन, ग्रामीण बैंकिंग, मूलभूत विज्ञान एवं मानविकी, गृह विज्ञान आदि शामिल किए जा सकते हैं। आशा की जाती है कि ये संस्थान उन नई प्रौद्योगिकियों का सृजन करने में सहायक होंगे, जो वैश्विक स्पर्धा कर सकें और किसानों में आर्थिक समृद्धि ला सकें। इससे गुणवत्ता और उत्कृष्टता में वास्तव में निरन्तर वृद्धि होगी और इससे बेहतर अनुसंधान के लिए भी प्रयास करने के लिए विश्वविद्यालय को लगातार प्रोत्साहन मिलेगा। इसके फलस्वरूप, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण संस्थानों के रूप में अध्यापन और अनुसंधान के बीच समन्वय स्थापित कर पायेंगे। कृषि-जलवायु जोनों के आधार पर स्थापित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मौजूदा क्षेत्रीय, शिक्षण और लिंग संबंधी विषमताओं को दूर करेंगे और अच्छी शिक्षा की उपलब्धता में वृद्धि करेंगे।

इन विश्वविद्यालयों का निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रभाव होगा :

(क) अग्रणी क्षेत्रों पर अत्यधिक ध्यान देते हुए कृषि और सम्बद्ध विज्ञान के क्षेत्र में अध्यापन और अनुसंधान के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ केन्द्र द्वारा वित्तपोषित वैश्विक रूप से सुयोग्य विश्वविद्यालयों की स्थापना करना।

(ख) संकाय और छात्रों के आदान-प्रदान, संसाधनों को साझा करने, क्रेडिट अन्तरण, संयुक्त अध्यापन और अनुसंधान परियोजनाओं आदि के माध्यम से गुणवत्ता और उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ भागीदारी और सम्पर्कों को बढ़ावा देना एवं सुदृढ़ करना, और

(ग) शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार और विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में देश की जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास को उच्च प्राथमिकता देना।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए व्यावहार्यता का मूल्यांकन करना

देश के विभिन्न कृषि-जलवायु जोनों में से प्रत्येक जोन में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय उस क्षेत्र में स्थित अन्य राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के लिए केन्द्रक और उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए नए सिरे से स्थापित किए जाएं। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पास उस क्षेत्र में स्थित अनुसंधान फार्म के लिए कम से कम 500 हैक्टेयर समीपवर्ती और कृषि योग्य् भूमि होनी चाहिए जो युवा प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित कर सके। राज्य नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करेंगे। यद्यपि संकाय की गुणवत्ता और अनुसंधान के मानक किसी विश्विविद्यालय की उत्कृष्टता निर्धारित करते हैं, तथापि प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कक्षाओं, अनुसंधान फार्म भूमि, मनोरंजन स्थान और सहायक सुविधाओं, जैसे आवास, चिकित्सा सुविधाओं, विद्यालयों, अवकाश और मनोरंजन सुविधाओं, सभागार, छात्रों और स्टॉफ के लिए ठहरने और भोजन की सुविधाओं के रूप में वांछित मानकों के भरपूर अवसंरचनात्मक संसाधनों के प्रावधान की आयोजना और डिजाइन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वैश्विक संस्थान के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की अपेक्षित स्थिति की व्यवहार्यता के लिए वास्तुकला की दृष्टि से सुखद और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल वातावरण का प्रावधान करना अपरिहार्य शर्त हो। पर्यावरण के अनुकूल वातावरण में बिजली और जल आपूर्ति जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता के साथ अच्छी सड़क, वायु और रेल की कनेक्टिविटी की सुविधाएं भी मुहैया किए जाने की आवश्यकता है। आयोजना, वास्तु डिजाइन और निर्माण के एकीकृत नगर-क्षेत्र के सिद्धांत विस्तारित विश्वविद्यालय स्थान के लिए आधार होंगे। राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था प्रदान करने और उसे बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए ताकि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय एक सुरक्षित वातावरण में कार्य कर सकें।

2. सामान्य मार्ग-निर्देश

स्थापना

- केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में केन्द्रीय सरकार प्रमुख प्रवर्तक होगी। संसद को जवाबदेही सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुसंधान अनुदान या स्थायी निधि तक होगी।
- केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना नए सिरे से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में संसद के अधिनियम द्वारा की जाएगी जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के लिए समाधान ढूंढने, और विशेष रूप से इसकी स्थापना कृषि-जलवायु जोन के आधार पर होगा और इस प्रक्रिया में पूर्व-स्नातक और उच्च स्तर पर शिक्षा का विकास होगा।
- एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय कृषि और सम्बद्ध विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा देने के लिए बहु-संकाय, लचीला, नवोन्मेषी और सर्जक होगा जैसाकि देश की आकांक्षा के

अनुसार स्थानीय और वैश्विक समाज के विजन के लिए छात्र तैयार करने के लिए उपयुक्त समझा जाए।

- अध्यापन और अनुसंधान, जो एक दूसरे को समृद्ध करते हैं, के बीच सहक्रिया के लिए अनुसंधान के लिए एक आदर्श हब के रूप में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना और विकास करने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र

- प्रत्येक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय एक अखिल भारतीय संस्थान के रूप में कार्य करेगा। तथापि, अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय कृषि विश्विविद्यालय के अधिकार और उत्तरदायित्व में इसकी स्थापना से कृषि-जलवायु जोन की आवश्यकताओं पर बल दिया जाएगा।
- विश्वविद्यालय के अधिकार और प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले सभी महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसंधान और प्रायोगिक केन्द्रक और अन्य संस्थान इसके अधिकारियों और प्राधिकारियों के पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन एक संघटक के रूप में होंगे और किसी भी यूनिट को सम्बद्ध यूनिट के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।
- विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में और विदेश में, जैसा भी अपेक्षित हो, अपने संघटक निकायों की स्थापना, विकास और प्रचालन का उत्तरदायित्व लेगा।

अभिशासन

किसी विश्वविद्यालय के अच्छे अभिशासन में शैक्षिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त संस्थानगत अवसंरचनाओं की स्थापना और नीतियां तथा पद्धतियां तैयार करना आवश्याक होता है। विश्वविद्यालय के अभिशासन और प्रबंधन में आने वाली अधिकांश अड़चने नौकरशाही बाधाओं, राजनीतिक हस्तक्षेपों, वित्तीय बाधाओं और वित्तपोषण की पद्धतियों तथा कानूनी और विनियामक फ्रेमवर्क से संबंधित होती हैं। मेधावी और प्रवीण छात्र तैयार करना और उनका सम्मान करना, और उन्हें प्रवीण तथा प्रतिभावान बनाने के अवसर प्रदान करने के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता देना ताकि ये छात्र प्रणाली के विकास में अपना योगदान दे सकें। केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के अभिशासन और कार्य प्रणाली में स्वाययत्तता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मॉडल अधिनियम का अनुपालन करने में कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए और न्यूनतम मानकों तथा मानदण्डों को पूरा करने के लिए डेयर, भारत सरकार से वित्तीय सहायता संगत होनी चाहिए।

- भाकृअनुप के मॉडल अधिनियम में कृषि विश्वविद्यालयों के निकायों, प्राधिकारियों और अधिकारियों की शक्तियों और कार्यों के लिए मार्ग-निर्देश दिए गए हैं; प्रबंधन बोर्ड और अन्य सांविधिक निकायों के गठन, तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति और संकाय के चयन की कार्यविधियां दी गई हैं। कृषि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्रावधान, जो निम्नालिखित मुद्दों पर विनियमों/नियमों के साथ अनुपूरक हों, शामिल करने के लिए वर्तमान मॉडल अधिनियम में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाए :

  क) कृषि शिक्षा के न्यूनतम मानक (पाठ्यक्रम, मानव संसाधन, अवसंरचनात्मक सुविधाएं),

  ख) कृषि शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के अनुमोदन और प्रत्यायन के लिए विनियम,

ग) व्यावसायिक मुद्दों - नीति, आचरण संहिता आदि के लिए विनियम,

घ) उच्च शिक्षा और अनुसंधान में विदेशी शैक्षिक संस्थानों को कार्य आरम्भ करने और प्रचालन का विनियमन, और

ङ) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति और संकाय के चयन की कार्यविधि।

- वित्तीय संसाधनों का सृजन करने और उच्च कृषि शिक्षा तक पहुंच बनाने, समानता, गुणवत्ता और उत्कृष्टता लाने के लिए निश्चित नीतियों, सुसाध्य मानदंडों और मॉनीटरिंग तंत्र के साथ पीपीपी का एक नया मॉडल विकसित किए जाने की आवश्यरकता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी का नया मॉडल, जिसकी कारपोरेट मॉडल की भांति भारत सरकार की समानता और वहनीयता की नीति का पालन करने की अन्तार्निहित जिम्मेदारी होगी, निजी क्षेत्र वृत्तिदान मॉडल और व्यावहारिक पीपीपी मॉडल का विकास विनियमों और मानदण्डों के जरिये किया जाएगा। इससे बड़े सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के उद्यमों की सहायता द्वारा देश के विभिन्न भागों में बड़े शिक्षा हबों का सृजन होगा।

विश्वविद्यालय की स्वायत्तता: प्रशासनिक, शैक्षिक और वित्तीय

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और भाकृअनुप के संस्थानों को प्रभावकारी ढंग से कार्य करने, समाज और विभिन्न हितधारकों को सर्वोत्तम योगदान देने के लिए चार प्रकार की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। दो प्रकार की स्वतंत्रता शैक्षिक है : यह निर्णय करने की स्वतंत्रता कि क्या पढ़ाया जाए, और कौन पढ़ाएगा। शेष दो प्रकार की स्वतंत्रता आर्थिक और प्रशासनिक है : यह निर्णय करने की स्वतंत्रता कि संसाधन कहां ढूंढे जाएं और यह निर्णय करने की स्वतंत्रता कि इन संसाधनों का परिनियोजन कैसे किया जाए।

संकाय की भर्ती

- एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को सक्षम अध्यापकों को आकृष्ट करने के लिए मेरिट को मान्यता देते हुए और पुरस्कृत करते हुए विश्वविद्यालय में पदों, विशेष रूप से शैक्षिक पदों पर नियुक्तियों के लिए अपने स्वयं का भर्ती मानदण्ड निश्चित करने की स्वतंत्रता होगी। इसमें आमंत्रण द्वारा नियुक्तियां करना, अध्ययन-विषयों के प्रमुखों की नियुक्तियां करना, कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन और प्रतिभाशाली संकायों को आकृष्टय करने और उन्हें रोके रखने के लिए कार्य की बेहतर शर्तें शामिल हैं।
- विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अर्थात् कुलपति, पंजीयक, नियंत्रक, वित्तीय अधिकारियों, संकाय अध्यक्षों और निदेशक का चयन कड़ी और पारदर्शी विधि से होगा ताकि विश्व में कहीं भी उपलब्ध सर्वोत्तम लोगों को आकृष्ट किया जा सके। वीसी और ईसी को इनके लिए अपनी प्रक्रिया विकसित करने की पूरी शक्तियां होनी चाहिए।

शैक्षिक कार्यक्रम

- केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का स्वरूप बहु-संकाय होगा और यह पूर्व-स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच.डी. डिग्री पाठ्यक्रम साथ-साथ शुरू कर सकेगा। शैक्षिक कार्यक्रमों में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने और कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को महत्व देने पर बल दिया जाना चाहिए। संकाय शैक्षिक परिषद द्वारा या संकाय बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर पहचान की गई आवश्यकता आधारित विधाओं को आरम्भ करने के लिए समन्वय कर सकता है।

- केन्द्रीय कृषि विश्वाविद्यालय सभी विधाओं में समस्तरीय परिवर्तन में सुविधा के लिए अन्तर-संकाय समन्वय और पसंद आधारित क्रेडिट प्रणाली के लिए प्रयास करेंगे।
- सभी कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम की संरचना और कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता और कार्य के संबंध में हितधारकों से निरन्तर सूचना प्राप्त की जाएगी। शैक्षिक परिषद को इस संबंध में कार्य सौंपा जाएगा जो आवधिक रूप से, अधिमानत: प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमों की शैक्षिक ऑडिट करेगी।

प्रवेश

- केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश अखिल भारत परीक्षा के आधार पर सभी आवेदकों के लिए खुला होगा चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो। इन संस्थानों में पचास प्रतिशत प्रवेश उस राज्य से इतर राज्यों के छात्रों के लिए आरक्षित किया जाए जिसमें संस्थान स्थित है। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभाशाली छात्रों को लक्षित करते हुए कृषि शिक्षा हेतु एक भली-भांति वित्तपोषित और व्यापक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना होनी चाहिए।
- छात्रों को कुछ उद्देश्यों के मानदण्ड के आधार पर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश दिया जाना चाहिए और इसमें कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षण शामिल होना चाहिए।
- संकाय के सदस्यों, जो अनुसंधान कार्य में शामिल किए जाएंगे, का हिसाब लगाने के लिए, विश्वविद्यालय में छात्र-अध्यापक का अनुपात विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त रूप से निश्चित किया जाएगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों और कम से कम 50 प्रतिशत पूर्व-स्नातक छात्रों को अपना अध्ययन पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- छात्रों के लिए केन्द्रीय कृषि विश्व विद्यालय 100 प्रतिशत आवासीय होंगे और कैम्पस में स्वस्थ वातावरण सृजित करने के लिए आवश्यक छात्रावास और अन्य सुविधाएं सृजित की जानी चाहिएं।

अनुसंधान

अनुसंधान में उत्कृष्टता ही विश्वस्तरीय संस्थान की संकल्पना का मुख्य आधार है। अनुसंधान में स्वायत्तता स्वयं ही विश्वविद्यालय के अन्य पहलुओं की तुलना में सीमाएं और बाधाएं कम करेगी और अनुसंधान की गुणवत्ता विश्वविद्यालय को विश्व में साख प्रदान करती है। अनुसंधान मामलों में जवाबदेही के साथ स्वायत्तता में एक उत्कृष्ट संतुलन अपेक्षित होता है क्योंकि इसमें काफी अधिक वित्तपोषण, सुविधा अनुसंधान के लिए व्यय करने की सुविधा और स्वतंत्रता होती है। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का विकास उस मूलभूत और सामरिक अनुसंधान के लिए एक आदर्श शिक्षा के आधार के रूप में किए जाने की आवश्यकता है जिस पर अनुप्रयुक्त अनुसंधान या प्रौद्योगिकीय विकास किए जाते हैं।

- अनुसंधान के लिए वित्त व्यवस्था विधाओं या संकाय के अनुसार नहीं होगी बल्कि अनुसंधान प्रस्ताव की मूलभूत सुदृढ़ता के आधार पर प्रतिस्पर्धी होगी जो अकेले विचारों के शोध के लिए प्रतिस्पर्धा में खरी उतरे। एक बार अनुसंधान समूह का अनुमोदन कर दिए जाने के बाद, अनुसंधान समूह को समूह द्वारा निश्चित कार्यविधियों के अनुसार अनुदानों का उपयोग करने की स्वनतंत्रता होगी बशर्ते कि ऐसी कार्यविधियों में निष्ठा और पारदर्शिता के व्यापक सिद्धांतों का पालन किया जाए।

- अकादमीशियनों को अनुसंधान में और ऐसे अनुसंधान से प्राप्त परिणामों को प्रकाशित करवाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। अनुसंधानकर्ताओं को उचित कार्यविधि, जिसके कारण कोई विलम्ब न होता हो, का अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से अपने अनुसंधान का पेटेंट करवाने की भी स्वतंत्रता होगी, लेकिन संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा जैसाकि सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है।
- भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोगों के लिए तथा विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) के मानदण्ड तैयार किए जाने की आवश्यकता है।
- सुसंगत, अनुमान योग्य और दीर्घकालिक अनुसंधान की वित्त-व्यवस्था के लिए पर्याप्त धनराशि की एक अनुसंधान स्थायी निधि, जो प्रति विश्वविद्यालय 1000 करोड़ रूपये से कम न हो, प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय से प्राप्त अलग-अलग प्रस्ताव के लिए इस धनराशि से अनुदान दिए जाएंगे।
- मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित मूलभूत विज्ञानों के सहयोजन से बहु-शिक्षण मिशन पद्धति अनुसंधान और नवोन्मेषण कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिएं जिनसे समाज को सभी स्तरों पर सीधे लाभ मिलना चाहिए और आर्थिक विकास में योगदान मिलना चाहिए। विश्वविद्यालयों में ऐसे विभाग स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
- संकाय और छात्र के बीच प्रतिभा और नवोन्मेषी कौशल को विकसित करने के लिए विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय-उद्योग नवोन्मेषण समूहों/प्रौद्योगिकी-व्यवसाय इन्कुबेटर्स में स्वायत्तशासी पीपीपी मोड अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना विश्वविद्यालय के कैम्पसों में की जानी चाहिए ताकि उन्हें उद्यमी/प्रौद्योगिकीविद बनाया जा सके। निजी तौर पर प्रायोजित और सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के बीच उपयुक्त संतुलन बनाना अपेक्षित होगा।

वित्तपोषण के लिए स्वायत्तता

शैक्षिक संस्थानों को मूल वित्तपोषण के अलावा वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। अवसंरचना के विकास, अनुसंधान और अच्छी शिक्षा के लिए पर्याप्त सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए किसी निजी और सरकारी संस्थानों, संगठनों, उद्योगों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य की भागीदारी करने के लिए शक्तियां देने की आवश्यकता है। इनमें सरकार द्वारा समय-समय पर दान, सहायता अनुदान और ऋण से संबंधित प्रयोजनों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न करते हुए विश्वविद्यालय के हित में दान, सहायता अनुदान और ऋण के माध्यम से धनराशि का सृजन करना शामिल है।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की शक्तियां

विश्वविद्यालयों (प्राधिकारियों) को निम्नलिखित शक्तियां होंगी:

- कृषि और सम्बद्ध विज्ञानों में अनुदेश देने के लिए प्रावधान करना;
- कृषि और अध्ययन की सम्बद्ध शाखाओं में अनुसंधान करने के लिए प्रावधान करना;
- विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान के परिणामों और तकनीकी सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रावधान करना;
- व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या किसी अन्यी विधि के आधार पर डिग्रियां या अन्य शैक्षिक

विशिष्टता (डिस्टिंक्शन) प्रदान करना, और उपयुक्त तथा पर्याप्त कारणों से डिग्रियां और अन्य विशिष्टताएं वापस लेना;

- अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को संविधि द्वारा निर्धारित तरीके से सम्मानार्थ डिग्रियां प्रदान करना;
- फील्ड कामगारों, ग्राम नेताओं और विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों के रूप में गैर-पंजीकृत अन्य लोगों को व्याख्यान और शिक्षा देना और उन्हें संविधियों द्वारा यथा निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रदान करना;
- किसी अन्य-विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षा के प्राधिकरण या संस्थान के साथ ऐसे तरीके से और ऐसे प्रयोजन के लिए सहयोग या संयोजन करना जो विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें;
- जैसा आवश्यक हो, कृषि और सम्बद्ध विज्ञानों से संबंधित महाविद्यालयों की मान्यता और उनका अनुरक्षण करना;
- ऐसे कैम्पसों, विशेषीकृत प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों या अनुसंधान के लिए अन्य यूनिटों और संस्थानों, की स्थापना और अनुरक्षण करना जो उनके विचार से अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है;
- अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के लिए पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- फेलोशिप, स्कालरशिप, स्टूडेंटशिप, पदक और पुरस्कार स्थापित और प्रदान करना;
- विश्विविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करना जिनमें परीक्षा, मूल्यांकन या जांचने के लिए कोई अन्य विधि शामिल है;
- छात्रों और कर्मचारियों के लिए आवास मुहैया करना और उसका अनुरक्षण करना;
- विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रबंध करना;
- सभी श्रेणी के कर्मचारियों की आचार संहिता सहित सेवा शर्तें निर्धारित करना;
- छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन लाना और इस संबंध में यथावश्यक अनुशासनिक उपाय करना;
- शुल्क और अन्य प्रभार, जो संविधि द्वारा निर्धारित किए जाएं, निर्धारित करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;
- विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए सम्पत्ति की प्रतिभूति पर केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से धन उधार लेना;
- अपने प्रयोजनों के लिए उपकार, दान और उपहार प्राप्त करना और किसी भी सम्पत्ति, चाहे वह चल हो या अचल हो, जिसमें न्यास और वृत्तिदान परिसम्पत्तियां शामिल हैं, का अधिग्रहण करना, रखना, प्रबंधन और ब्रिकी करना;
- सभी अथवा किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आनुषंगिक या सहायक, ऐसे सभी कार्य करना जो आवश्यसक समझे जाएं।

अभिशासन संरचना

कुलाध्यक्ष

- भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे और वे विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन करेंगे, विश्वविद्यालय को सहायता और सलाह देंगे ताकि उसके प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके।
- कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिसे/जिन्हें वे निर्देश दें, विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपकरणों और किसी भी संस्थान या महाविद्यालय का और किसी भी परीक्षा, शिक्षा, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित या किए गए अन्यय कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, और विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त् से जुड़े किसी मामले के संबंध समान तरीके से जांच करवाने का अधिकार होगा।
- कुलाध्यक्ष, किए जाने वाले निरीक्षण या जांच के प्रत्येक मामले में अपनी धारणा बनाते हुए विश्वविद्यालय को नोटिस देंगे और ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय को नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के अन्दर या ऐसी अवधि, जो कुलाध्यक्ष निश्चित करें, के अन्दर उन्हें ऐसा अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे।
- विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच करवा सकते हैं।
- जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच करवाई जानी है, वहां विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का पात्र होगा जिसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और ऐसे निरीक्षण या जांच पर सुनवाई करने का अधिकार होगा।
- कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों के संदर्भ में कुलपति को लिख सकते हैं और उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में ऐसे विचार और सलाह भेज सकते हैं जो कुलाध्यक्ष देना चाहें और कुलाध्यक्ष द्वारा भेजे गए पत्र के प्राप्त होने पर कुलपति निरीक्षण या जांच के परिणाम तथा कुलाध्यक्ष के विचार और की जाने वाली कार्रवाई पर उनके द्वारा दी गई सलाह को तुरन्त बोर्ड को भेजेगा।
- बोर्ड कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेगा जो उसने ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के आधार पर करने का प्रस्ताव है या की गई है।
- जब बोर्ड उचित समय के भीतर कुलाध्यक्ष की संतुष्टि के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है तो कुलाध्यक्ष, बोर्ड द्वारा गए स्पष्टीकरण या दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जो वे उपयुक्त समझें और बोर्ड ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए आबद्धकर होगा।
- धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष, लिखित में आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं जो अधिनियम, संविधि या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं हो।
- परन्तु ऐसा कोई आदेश देने से पहले, वे विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगेंगे कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वे उस पर विचार करेंगे।
- कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो संविधि द्वारा निर्धारित की गई हों।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे, जिनके नाम इस प्रकार हैं–

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) संकाय अध्यक्ष;

(4) निदेशक;

(5) पंजीयक

(6) नियंत्रक

(7) विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष

(8) ऐसे अन्य् अधिकारी जो संविधियों द्वारा निर्धारित किए गए हों।

कुलाधिपति

(1) कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा इस विधि से की जाएगी, जो संविधियों द्वारा निर्धारित की गई हों।

(2) कुलाधिपति, अपने पद के नाते, विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।

(3) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हों, डिग्रियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेंगे।

कुलपति

(1) संविधि द्वारा निर्धारण विधि के अनुसार ही कुलाध्यक्ष द्वारा कुलपति की नियुक्ति की जाएगी।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यकारी तथा शैक्षिक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के मामलों के सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के कार्य करेंगे तथा विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों को लागू करेंगे।

(3) यदि कुलपति को यह लगे कि किसी मामले पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो उसे विश्वविद्यालय द्वारा अथवा अधिनियम के तहत दी गयी है और इस तरह के मामले पर उसके द्वारा की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(अ) बशर्ते कि यदि संबंधित अधिकारी की यह राय हो कि इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो यह मामला कुलाध्यक्ष को भेजा जाए जिनका निर्णय अंतिम होगा:

(आ) आगे बशर्ते कि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई भी व्यक्ति जो कुलपति द्वारा इस उप धारा के अंतर्गत की गयी कार्रवाई से दु:खी हो, को यह अधिकार होगा कि वह इस तरह की कार्रवाई के विरुद्ध बोर्ड को अपील कर सके जो उसे कार्रवाई की सूचना देने की दिनांक से तीन माह के भीतर हो और इसके उपरान्त बोर्ड कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई की पुष्टि, संशोधन अथवा उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति, यदि उसकी यह राय हो कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी का कोई निर्णय अधिकारी को अधिनियम, सांविधिक अथवा अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है अथवा यह कि लिया गया कोई निर्णय विश्वविद्यालय के हित में न हो, तो वह संबंधित अधिकारी को इस तरह का निर्णय लिये जाने के 60 दिनों के अंदर निर्णय की समीक्षा करने को कह सकता है और यदि अधिकारी निर्णय की समीक्षा करने से इंकार करे या तो संपूर्ण रूप में या आंशिक रूप में, अथवा बतलाई गयी 60 दिन की अवधि में इस पर कोई निर्णय न हो सके तो मामला कुलाध्यक्ष को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का उपयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों को पूरा करेगा जैसा कि संविधि अथवा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

संकायाध्यक्ष एवं निदेशक

(1) प्रत्येक संकायाध्यक्ष और प्रत्येक निदेशक इस तरह से नियुक्त होगा और इस तरह से अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा इस तरह ड्यूटी निभाएगा जैसा कि संविधि में निर्धारित किया गया है।

पंजीयक

(1) पंजीयक की नियुक्ति उसी तरह होगी जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किया गया है।

(2) पंजीयक को अधिकार होगा कि वह विश्वविद्यालय की ओर से करार कर सके, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सके तथा रिकार्ड को प्रमाणित कर सके, तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सके तथा ऐसे कार्य कर सके जो संविधि द्वारा निर्धारित किये गये हों।

लेखा-नियंत्रक

लेखा-नियंत्रक की नियुक्ति वैसे ही होगी तथा वह वैसे ही शक्तियों का उपयोग करेगा और वैसे ही कार्य करेगा जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किया गया है।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के निम्नि प्राधिकारी होंगे - जिनके नाम हैं -

(1) प्रबंधन बोर्ड

(2) शैक्षिक परिषद

(3) अनुसंधान परिषद

(4) विस्तार शिक्षा परिषद

(5) वित्त समिति

(6) संकाय एवं अध्ययन बोर्ड; तथा

(7) ऐसे अन्य प्राधिकारी जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किया गया है।

प्रबंधन बोर्ड

(1) प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी निकाय होगा।

(2) बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल तथा इसके अधिकार एवं कार्य संविधि द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार होंगे।

शैक्षिक परिषद

(1) शैक्षिक परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षिक निकाय होगी और इसके पास इस अधिनियम के प्रावधानों, संविधियों तथा अध्यादेशों के तहत नियंत्रण और सामान्य व्यवस्थानपन होगा, तथा विश्वविद्यालय में ज्ञान, शिक्षा, निर्देश, मूल्यांकन और परीक्षा के मानकों को बनाये रखने के लिए यह उत्तरदायी होगी, और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे सभी अन्य कार्यों को करेगी जैसा कि संविधि द्वारा प्रदत्त या लागू किया गया हो। शैक्षिक परिषद का संविधान तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल संविधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(2) शैक्षिक परिषद का गठन तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल संविधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अनुसंधान परिषद

अनुसंधान परिषद का गठन, शक्तियां और कार्य तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल संविधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

विस्तार शिक्षा परिषद

विस्तार शिक्षा परिषद का गठन, शक्तियां और कार्य तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल संविधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

वित्त समिति

वित्त समिति का गठन, शक्तियां तथा कार्य संविधि द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

संकाय

विश्वविद्यालय के पास वे संकाय होंगे जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किया गया हो।

अध्ययन बोर्ड

अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां तथा कार्य संविधि द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

अन्य प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियां और कार्य वही होंगे जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किया गया हो।

संविधि बनाने की शक्ति

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निम्न में से सभी अथवा किसी भी मामले के लिए संविधि अनुसार व्यवस्था की जा सकती है, नामत:-

(ए) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के गठन, शक्तियां और कार्य जैसा कि समय-समय पर गठित किया गया है;

(बी) उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की कार्यालय में नियुक्ति तथा बनाये रखना, सदस्यों की रिक्तियों

का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों से संबंधित अन्यों सभी मामले जिनके लिये प्रावधान किया जाना आवश्यक अथवा वांछनीय हो;

(सी) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कार्य तथा उनके परिलाभ;

(डी) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षिक कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके परिलाभ;

(ई) किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संगठन में कार्यरत शिक्षकों तथा शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति एक संयुक्त परियोजना आरंभ करने के लिये एक विशिष्टम अवधि हेतु;

(एफ) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें जिसमें पेंशन, बीमा तथा भविष्य निधि के प्रावधान शामिल हों, सेवा की समाप्ति का तरीका तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई।

(जी) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की वरिष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(एच) विश्वविद्यालय और कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों के बीच विवाद के मामलों में मध्यस्थता हेतु प्रक्रिया;

(आई) विश्विविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी की कार्यवाही के विरुद्ध किसी कर्मचारी अथवा विद्यार्थी द्वारा बोर्ड को अपील किये जाने हेतु प्रक्रिया;

(जे) विभागों, केन्द्रों, महाविद्यालयों तथा संस्थानों की स्थापना और समाप्त किया जाना;

(के) सम्मानार्थ डिग्रियों का प्रदान किया जाना;

(एल) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षिक उपाधियों की वापस लिया जाना;

(एम) अध्यावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थापन;

(एन) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(ओ) कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच अनुशासन को बनाये रखना;

(पी) अन्य सभी मामले जो संविधि द्वारा निर्धारित किये जाने हों अथवा निर्धारित किये जा सकते हों।

संविधि - किस तरह बनायी जाए

(1) पहली संविधि वही है जो अनुसूची में निर्धारित है।

(2) बोर्ड समय-समय पर संविधियों को बना सकता है अथवा उप धारा (1) में संदर्भित संविधियों को संशोधित अथवा निरस्ती कर सकता है।

बशर्ते कि विश्विविद्यालय किसी प्राधिकारी के स्तर, शक्तियों अथवा संविधान को प्रभावित करने वाले किसी विधान को बोर्ड न तो बनाएगा और न ही संशोधित अथवा निरस्त करेगा जब तक कि प्रस्तावित परिवर्तनों पर उस प्राधिकारी को लिखित में एक राय व्यक्त करने का अवसर न मिल जाए; और इस तरह अभिव्यिक्ति की गयी किसी भी राय पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक संविधि अथवा कोई संशोधन अथवा एक संविधि को निरस्ति करने के लिए कुलाध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी जो उस पर सहमति दे सकता है अथवा उससे सहमति रोक सकता है अथवा उसे विचारार्थ बोर्ड को सौंप सकता है।

(4) एक संविधि अथवा एक संविधि संशोधन अथवा एक मौजूदा संविधि को निरस्त करने की कोई वैधता नहीं होगी जब तक कि उस पर कुलाध्यक्ष द्वारा सहमति न दे दी जाए।

(5) पूर्वोक्त उप-धाराओं में किए गए प्रावधानों के बावजूद भी कुलाध्यक्ष उप धारा (1) में संदर्भित संविधियों को संशोधन और निरस्त कर सकता है जो इस अधिनियम की शुरुआत के तुरन्त बाद तीन वर्षों की अवधि के दौरान हो।

(6) पूर्वोक्त उप-धाराओं में किए गए प्रावधानों के बावजूद कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय को निर्देशित कर सकता है कि उसके द्वारा बताये गये किसी विशिष्ट मामले के संबंध में संविधि में प्रावधान रखें जायें तथा यदि बोर्ड इसकी प्राप्ति के 60 दिन के अंदर इस तरह के निर्देश क्रियान्वित करने में असमर्थ रहे तो इस तरह के निर्देश के अनुपालन में अपनी असमर्थता के लिए बोर्ड द्वारा संप्रेषण यदि कोई है तो उसमें दिये गये कारणों पर विचार करने के पश्चात अध्यक्ष संविधियों में उपयुक्त संशोधन कर सकता है।

रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 पर आधारित आदर्श संविधियां संलग्न किये गये हैं।

अध्यादेश बनाने का अधिकार

अधिनियम और संविधियों के प्रावधानों के मद्देनज़र निम्न में से किसी एक अथवा सभी मामलों के लिए अध्यादेश जारी किये जा सकते हैं :-

(ए) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा इस प्रकार उनका नामांकन।

(बी) विश्वविद्यालय के सभी डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्रों के लिये अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्धारित करना।

(सी) शिक्षा और परीक्षा का माध्यम।

(डी) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य उपाधियों का दिया जाना, इसके लिए योग्यताएं तथा इसे प्रदान करने और प्राप्त करने से संबंधित किये जाने वाले उपाय;

(ई) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिये तथा परीक्षा में बैठने के लिए, विश्वविद्यालय के डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए लगाया जाने वाला शुल्क;

(एफ) अध्यावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को दिये जाने की स्थितियां;

(जी) परीक्षाओं का संचालन, जिसमें परीक्षा निकायों, परीक्षकों तथा संचालकों के कार्य तथा कार्यकाल व नियुक्ति की विधि शामिल है;

(एच) विद्यार्थियों के आवास की स्थितियां;

(आई) विशेष व्यवस्थाएं, यदि कोई हो, जो महिला विद्यार्थियों के आवास, अनुशासन तथा शिक्षण के लिए बनायी गयी हों तथा उनके लिए अध्ययन के विशिष्ट कार्यक्रमों का निर्धारण;

(जे) उन कर्मचारियों जिनके लिए संविधि में प्रावधान रखे गये हैं, को छोड़कर अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा परिलाभ;

(के) विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं तथा अन्य समितियों की स्थापना;

(एल) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों जिसमें शैक्षणिक निकाय तथा संगठन शामिल हैं, के साथ सहयोग का तरीका;

(एम) विश्वविद्यालय का शैक्षिक जीवन सुधारने के लिए आवश्यक समझे गये किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना तथा कार्य;

(एन) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की सेवा के ऐसे अन्य विषय और शर्तें जो संविधि द्वारा निर्धारित नहीं किये गये हों;

(ओ) विश्विविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थानों का प्रबंधन;

(पी) कर्मचारियों की शिकायतों के हल के लिए एक प्रणाली की स्थापना;

(क्यू)) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम अथवा संविधि द्वारा अध्यादेशों के लिए प्रदान किये जा सकते हैं।

विनियम बनाने की शक्ति

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम, विनियमों के संगत विनियम बना सकते हैं। उनके अपने कार्य के लिए तथा उनके द्वारा नियुक्त समितियों के लिए, संविधि और अध्यादेश जिसके लिए इस अधिनियम में प्रावधान नहीं है, तो उसके लिए संविधि द्वारा निर्धारित तरीके से विधान या अध्यादेश बनाए जाएं।

अनुबंध-I

कृषि - जलवायु क्षेत्र तथा विशिष्ट अवरोध

क्षेत्र संख्या	क्षेत्र का नाम	राज्य	क्षेत्र विशिष्ट अवरोध
I	पश्चिमी हिमालय क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखण्ड	• प्रचण्ड शीत स्थितियां, क्राइक तापमान प्रणाली, अल्प फसल बढ़वार अवधि। • उथली, बलुई तथा कंकडीली मृदाएं जो मध्यम से उच्च कैल्शियम की मात्रा वाली हैं। • उत्तरी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां फसलों के लिए सीमित अवसर हैं। • वनोन्मुलन (वन अपरोपण), भारी वर्षा और अत्यधिक ढ़लान जो मृदा क्षरण में सहायक होते हैं। • घाटी में अपूर्ण जल निकास अवस्थाओं के कारण फसल के विकल्प सीमित हैं। • मृदा अम्लता, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मनाली क्षेत्र में। • सूखे की स्थिति विशेषकर निचली पहाडियों में अत्यधिक अपवाह और खुरदरे मृदा गठन के कारण। • खराब सड़कें, खराब इनपुट डिलेवरी तथा अपर्याप्त संप्रेषण ढांचा तथा विपणन।
II	पूर्वी हिमालय क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा	• भीषण ठंड फसलों के विकल्प को रोकती है, खड़ा ढलान, भारी अपवाह जिसके परिणामस्वरूप अवक्षय की बाधा आ सकती है। • झूम खेती के लिए वनोन्मुलन जिससे गंभीर मृदा अवक्षय की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। • अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आना तथा बढ़ा हुआ निक्षालन जिसके परिणामस्वरूप मृदाएं अल्प क्षारीय स्तर वाली हो रही है। • अत्यधिक नमी जिसके कारण घाटियों में मानसून के बाद की अवधि में जल ठहराव हो जाता है तथा इससे दूसरी कृष्य फसल की खेती सीमित होती है। • छोटे से सीमान्त खेत जोत होने के कारण कृषि उपकरणों का उपयोग बाधित होता है। • एल्युमिनियम विषाक्ता तथा मृदा लवणता। • बिजली, सड़क, इनपुट डिलिवरी प्रणाली तथा संचार ढांचे की खराब उपलब्धता।

III	गंगा के निचले मैदान	पश्चिम बंगाल	• लघु एवं मध्यम सर्दियां जिसके परिणामस्वरूप गेहूं की बढ़वार के लिये अनुकूलतम तापीय स्थिति का नहीं होना। • वर्षा का मौसम लम्बा होने के कारण देरी से गेहूं की बुवाई। • बार-बार बाढ़ आने तथा जल भराव के कारण पौधों की उचित बढ़वार न होना। • इनपुट उपयोग की अल्प दर तथा प्रयुक्त पोषक तत्वों की अपर्याप्त दक्षता। • पूरक सिंचाई की कमी। • घटा हुआ जल स्तर तथा भूमिगत जल के साथ बोरो-राइस उगाने वाले क्षेत्रों में एल्युमिनियम/आर्सेनिक की विषाक्तता। • अपर्याप्त जल निकास जिसके कारण मृदा में लवणीयता/क्षारीयता हो। • अधिक जनसंख्या वृद्धि; खराब सड़कें तथा संचार सुविधाएं।
IV	मध्य गंगा के मैदान	उत्तर प्रदेश, बिहार	• गेहूं की खेती के लिए उप-इष्टतम तापीय प्रणाली। • निचले क्षेत्रों में अत्यधिक मृदा नमी तथा जलाक्रांत स्थितियों के कारण देरी से की गयी गेहूं की बुवाई। • खराब सिंचाई सुविधाएं तथा असंतुलित N, P, K तथा Zn उपयोग। • चावल में जिंक की कमी तथा गेहूं में असमान पौध संख्या। • खरपतवारों की समस्या जैसे - गेहूं में छोटा फलारिस, चावल में विषाणु पर्ण चिती (बीएलबी), गेहूं में पर्ण रतुआ, तथा कुछ खेतों में दीमक तथा कृन्तक समस्याएं। • खरीफ के मौसम के दौरान बाढ़ और अपर्याप्त निकास स्थितियों के कारण फसल की बढ़वार सीमित होना। • लवणीयता और/अथवा क्षारीयता खण्डों में घटित होने के कारण फसलोपज का प्रभावित होना।
V	गंगा के ऊपरी मैदान	उत्तर प्रदेश	• कुछ हिस्सों (विशेषकर तराई क्षेत्रों) में रोका गया जल निकास तथा अन्य हिस्सों (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में उच्च निस्यंदन हानियां। • वर्षा का कम होना, अनियत तथा असमान वितरण। • वर्षा के मौसम के बाद जल की कमी, लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं तथा दक्षिण-पश्चिमी उप क्षेत्र में खारा सिंचाई जल के

			कारण फसलोपज कम होती है। ● मध्य समतल उप क्षेत्र में लवण ग्रस्त मृदाएं फसल की बढ़वार और उपज को प्रभावित कर रही हैं। ● भूजल में गिरावट, बहु-पोषण की कमी, तथा घट रही सकल घटक उत्पादकता। ● चावल प्रतिरोपण की देरी तथा गेहूं की बुवाई। ● N, P तथा K का असंतुलित उपयोग। ● हानिकारक खरपतवारों जैसे - धान में चिनोक्लोआ और गेहूं में फलारिस माइनर का उत्पीड़न। ● चावल में भूरे पादप हूपर (बीपीएच) का होना, चावल में बेक्टिरियल पर्ण चित्ती (बीएलबी) तथा शैथ ब्लाइट रोग, गन्ने में सफेद सूंडी तथा चावल-गेहूं प्रणाली में पादप-परजीवी निमोटोड।
VI	गंगा पार मैदानी क्षेत्र	चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान	● भूमिगत जल सिंचाई की खारी गुणवत्ता तथा मृदा लवणता की समस्या। ● बलुई मृदा के कारण कम मृदा जल बनाये रखने की क्षमता की समस्या। ● लवणीय सोडिक मृदा तथा धान-गेहूं प्रणाली में उपलब्ध पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। ● अत्यधिक शाकनाशी उपयोग के कारण मृदा के सूक्ष्म जैविक गुणों में कमी। ● अत्यधिक भूजल कमी तथा कुल घटक उत्पादकता में कमी। ● उच्च जनसंख्या घनत्व ।
VII	पूर्वी-पठार और पहाडियां	छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल	● अत्यधिक जल अवक्षय समस्या के प्रति संवेदनशील मृदाएं। ● आरंभिक अवस्थाओं में आंशिक जलाक्रांतता के बाद शेष फसल बढ़वार अवधि के दौरान सूखा। ● स्थानों पर उप-मृदा में पत्थर तथा कंकडीला गठन जो उपलब्ध जल धारन क्षमता को कम करता है। ● N, P, Zn तथा B की कमी जिससे पोषण संबंधी असंतुलन होता है, लाल और लैटेरिटिक मृदा में विशेषकर P का स्थिरीकरण। ● नमी दबाव, सूखा, मृदा अम्लता और लौह विषाक्तता।

			• बिजली की खराब आपूर्ति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि।
VIII	केन्द्रीय–पठार और पहाडियां	मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश	• खराब सड़कें, खराब इनपुट डेलिवरी तथा संचार ढांचा। • मटियारी मृदा में चटकाहट, वर्षा के मौसम के दौरान बाढ़ तथा लम्बे सूखे के दौर जिससे कुछ स्थानों पर फसल बेकार हो जाती है। • वर्षा के मौसम के दौरान भारी अपवाह जिसके परिणाम से मृदा हानि, जल ठहराव तथा कम अंकुरण होता है। • N, P तथा Zn की कमी जिसके परिणाम से पोषण असंतुलन होता है। • भूजल का अत्यधिक दोहन जिससे जलस्तर में कमी आती है। • अपर्याप्त निकास अवस्थाएं जिससे मृदा लवणता और/अथवा अम्लता होती है। • कंकडीली गठन वाली मृदा जिसकी जल धारण क्षमता कम होती है। • सूखे, नमी दबाव का बार–बार घटित होना।
IX	पश्चिम–पठार और पहाडियां	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र	• अधिक अपवाह तथा तूफानी बादल फटने के दौरान अवक्षय बाधा। • फसल बढ़वार अवधि के दौरान सूखे के लम्बे दौर। • उप–मृदा सोडिकता तथा काली मृदाओं में कार्य योग्य मृदा गठन की संकरी सीमा।
X	दक्षिण–पठार और पहाडियां	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु	• लम्बे सूखे के दौर जिससे कुछ वर्षों में फसल बेकार होने लगती है। • वर्षा के मौसम में तूफानी बादल फटने के दौरान उच्च अपवाह के परिणाम स्वमरूप मृदा का भारी नुकसान। • N, P तथा Zn में कमी के कारण पोषक तत्वों का असंतुलन। • वर्षा के मौसम में अति वर्षा से काली और लाल दोनों मृदाओं में पोषक तत्वों की हानि तथा काफी मृदा हानि। • खराब सिंचाई जल प्रबंधन तथा अपर्याप्त जल निकास के कारण भौम जल स्तर तथा उप मृदा लवणता तथा क्षारीयता में वृद्धि। • N, P तथा Zn की कमी के कारण पोषक तत्व असंतुलन। • बढ़वार अवधि में बार–बार नमी दबाव होने से फसल खराब होना।

XI	पूर्वी–समुद्री मैदान और पहाड़ियां	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडूचेरी, तमिलनाडु	• खराब जल प्रबंधन तथा अपर्याप्त जल निकास के कारण फसलोपज कम होना। • खराब जल निकास के कारण मृदा लवणता जिससे फलोपज प्रभावित होती है। • मानसून के दौरान चक्रवात की संभावना। • खराब मृदा पोषक तत्व की स्थिति।
XII	पश्चिम–समुद्री मैदान और घाट	गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु	• पोषक तत्वों की अत्यधिक निक्षालन हानि। • अपर्याप्त जल निकास के कारण जल भराव पौधों की बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। • खड़ा ढ़लान जिसके कारण अपवाह होता है जिससे प्रचण्ड मृदा अवक्षय होता है। • भूमि क्षेत्र के जल भराव के कारण स्थानीय क्षेत्र लवणीय होता है।
XIII	गुजरात–मैदान और पहाडियां	गुजरात, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव	• सविराम सूखे के दौर की अवधि तथा अनावृष्टि। • सिंचित क्षेत्रों में अपर्याप्त निकास जिससे निचले क्षेत्रों में इष्टतम जड़ प्रशाखन तथा आक्सीजन उपलब्धता कम हो जाती है। • समुद्री जल के मौसमी भराव के कारण अत्यधिक लवणता।
XIV	पश्चिमी शुष्क क्षेत्र	राजस्थान	• वार्षिक जल की कमी महसूस की गयी, रेगीस्तान की शुष्कता और आवास। • प्रमुख बलुई मृदा, क्रिया में क्षारीय तथा कैल्शियम युक्त। • बेतहाशा वनोन्मुलन के कारण पारिस्थितिक संतुलन में गड़बड़ी। • वर्षा की वाचालता तथा कमी के कारण अत्यधिक जल कमी, मृदा लवणता के कारण बार–बार फिजियोलॉजिकल ड्राट्स, दाना बनने के समय पर गंभीर सूखा। • N, P, Zn तथा Fe की कमी के कारण पोषक तत्वों का असंतुलन। • चारे की अल्प उपलब्धता।
XV	द्वीपीय क्षेत्र	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यद्वीप	• उष्णकटिबंधीय वर्षा–वन पारिस्थितिकी के अवक्षय के कारण अत्यधिक मृदा अवक्षय। • वर्षा प्रचुर वन की सफाई के कारण बिगड़ी हुई पारिस्थितिकी। • तटीय क्षेत्र के जल भराव के कारण लवणीय दलदल तथा इसके कारण अम्लीय सल्फेट मृदा का लगातार बनना। • चक्रवात संभावित। • खराब सड़कें तथा संचार ढांचा।

अनुबंध-II

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए आदर्श संविधि*

(I) कुलाधिपति

(क) कुलाध्यक्ष द्वारा कुलाधिपति की नियुक्ति बोर्ड द्वारा संस्तुत कम से कम तीन व्यक्तियों, के पैनल में से सामान्य तौर पर शिक्षा और विशेषतौर पर कृषि विज्ञानों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से की जाएगी।

परंतु यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार संस्तुत किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन नहीं करता है तो वह बोर्ड से नई संस्तुतियां मंगवा सकता है।

(ख) कुलाधिपति पांच वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा; परंतु अन्य बातों के होते हुए कुलाधिपति अपनी कार्यालय अवधि की समाप्ति के पश्चात, तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तिराधिकारी उस पद पर कार्य भार नहीं कर लेता।

(II) कुलपति

(1) कुलपति की नियुक्ति खंड (2) के अंतर्गत यथा गठित एक समिति द्वारा संस्तुत कम से कम तीन व्यक्तियों के एक पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(2) खंड (1) में संदर्क्षित समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे

(i) सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार अध्यक्ष के रूप में

(ii) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कृषि शिक्षा विद/ वैज्ञानिक

(iii) सदस्य के रूप में कुलाध्यक्ष का एक नामिती जो संयोजक भी होगा।

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक /शिक्षा विद जिसकी पदवी कुलपति से कम नहीं होगी।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्ण कालिक वेतन भोगी अधिकारी होगा।

(4) कुलपति उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, अपने पद पर बना रहेगा जिस तारीख से वह अपना पद ग्रहण करता है या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु ग्रहण नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पहले हो, और वह पांच वर्ष की अवधि की पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा या तब तक अपने पद पर बने रहेगा जब तक उसकी आयु 70 वर्ष की न हो, इनमें से जो भी पहले हो,

परंतु उक्त- पांच वर्षों की समाप्ति के होते हुए भी वह अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक या जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता और अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, अपने पद पर बना रहेगा।

(5) कुलपति की परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तें निम्न प्रकार से होंगी:-

*रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 पर आधारित।

(i) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर गृह किराया भत्ता के अलावा मासिक वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा और वह अपनी संपूर्ण कार्यालय अवधि तक किराए के भुगतान के बिना सुसज्जित आवास का प्रयोग करने का हकदार होगा और इस प्रकार के आवास के रख-रखाव के संबंध में कुलपति से किसी प्रकार का प्रभार नहीं लिया जाएगा।

(ii) कुलपति ऐसे आवधिक लाभों और भत्तों का हकदार होगा जो परिषद् द्वारा समय-समय पर कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से निर्धारित किए जा सकते हैं, परंतु जहां विश्वविद्यालय या कॉलेज या इसके द्वारा अनुरक्षित किसी संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या ऐसे किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या इससे संबद्ध किसी संस्थान का कोई कर्मचारी कुलपति के तौर पर नियुक्त किया जाता है तो उसे उस भविष्य निधि में अपना अंशदान जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है जिसका वह सदस्य हो और विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के भविष्य निधि के खाते में उसी दर पर अंशदान देता रहेगा जिस दर पर वह व्यक्ति कुलपति की नियुक्ति के ठीक पहले अंशदान दिया करता था।

परंतु इसके अतिरिक्त जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान देगा।

(iii) कुलपति सरकार द्वारा समय-समय पर भारत सरकार के सचिव पद या इसके समतुल्य अधिकारियों के निर्धारित दरों के अनुसार यात्रा और अन्य भत्ते पाने का हकदार होगा। इसके अलावा वह ऐसे स्थानांतरण भत्ते और अन्य भत्ते पाने का हकदार होगा जो पद ग्रहण करने और पद छोड़ने के बाद भारत सरकार के सचिव पद के अधिकारियों को देय होते हैं।

(iv) कुलपति एक कैंलेडर वर्ष में 30 दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी पाने का हकदार होगा और प्रति वर्ष पहली जनवरी और जुलाई को उसकी छुट्टी पन्द्रह-दिनों की दो अर्द्ध वार्षिक किस्तों में अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा हो जाएगी।

बशर्ते यदि कुलपति अर्द्ध वर्ष के प्रचलन के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या छोड़ता है तो उसकी छुट्टी सेवा के प्रत्येत पूर्ण माह के लिए ढाई दिन की दर से जमा की जाएगी।

(v) उप खंड (iv) में संदर्भित छुट्टी के अतिरिक्त, कुलपति सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिन की दर से अर्द्ध वेतन छुट्टी का भी हकदार होगा। यह अर्द्ध वेतन छुट्टी चिकित्सक प्रमाण पत्र पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी उपलब्ध की जा सकती है। यदि परिवर्तित छुट्टी उपलब्ध हो तो अर्द्ध वेतन छुट्टी की दुगुनी संख्या देय अर्द्ध वेतन छुट्टी में से कम कर दी जाएगी।

(vi) कुलपति भारत सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी रियायत और गृह यात्रा रियायत पाने का हकदार होगा।

(vii) कुलपति अपने पद को छोड़ते समय भारत सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी नकदीकरण के लाभ का हकदार होगा।

(viii) यदि मृत्यु , त्यागपत्र या अन्य के कारण कुलपति का पद रिक्त हो गया हो या वह बीमारी या अन्य किसी वजह से अपनी ड्यूटी निभाने में असमर्थ हो तो जब तक नियमित

कुलपति की नियुक्ति नहीं हो जाती है या जब तक कुलपति अपना पदभार गहण नहीं कर लेता, जैसी भी स्थिति हो, संकायाध्यक्ष/विश्वविद्यालय के निदेशकों में से वरीयता के आधार पर किसी को कुलपति का प्रभार दिया जा सकता है।

कुलपति की शाक्तियां और कार्य

(1) कुलपति बोर्ड, शैक्षणिक परिषद्, वित्त आयोग, अनुसंधान परिषद् और विस्तार शिक्षा परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में डिग्री प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षा समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा परंतु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण का सदस्य न हो वह उस बैठक में मत डालने का हकदार नहीं होगा।

(3) कुलपति की यह ड्यूटी होगी कि वह इस बात का ध्यान रखे कि इन अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों का उचित रूप से पालन किया गया है और ऐसे अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उसके पास सभी आवश्यक शाक्तियां निहित होंगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के मामलों पर नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी अधिकरियों के निर्णयों को लागू कराएगा।

(5) कुलपति के पास विश्वविद्यालय के अनुशासन को उचित रूप से कायम रखने के लिए सभी शाक्तियां निहित रहेंगी और वह किसी भी ऐसी शक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति और व्यक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

(6) कुलपति के पास परिषद्, शैक्षणिक परिषद्, अनुसंधान परिषद्, विस्तार शिक्षा परिषद् और वित्त समिति की बैठक बुलाए जाने की सभी शक्तियां निहित हैं।

(iii) महाविद्यालय और संकायों के संकायाध्यक्ष

(1) प्रत्येयक संकाय में एक संकायाध्यक्ष होगा जो संबंधित महाविद्यालय का प्रमुख भी होगा। यदि किसी संकाय में एक से अधिक महाविद्यालय हों तो कुलपति संकायाध्यक्षों में से एक संकायाध्यक्ष को संकाय के अध्यक्ष के रूप में नामित कर सकता है।

(2) बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक सवेतन अधिकारी होगा।

(3) संकायाध्यतक्ष किराया मुक्त और असुसज्जित आवासीय भवन का हकदार होगा।

(4) संकायाध्यकक्ष पांच वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा और वह पनुर्नियुक्ति का भी पात्र होगा। परंतु यदि संकायाध्यक्ष 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह उस पद पर नहीं रहेगा।

(5) जब संकायाध्यक्ष का पद खाली हो या जब संकायाध्यक्ष बीमारी की वजह से या किसी अन्य कारण से अपनी ड्यूटी निभाने में असमर्थ हो तो उसके पद की ड्यूटी ऐसे व्यक्ति द्वारा निभायी जाएंगी जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकता है।

(6) संकायाध्यक्ष महाविद्यालय और संकाय में अध्यापन के मानकों संचालन और अनुरक्षण के

लिए कुलपति के प्रति उत्तदरदायी होगा और वह ऐसे कार्य करेगा जिन्हें अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया गया है।

(7) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड आफ स्टडीज का पदेन अध्यक्ष, विश्वविद्यालय की परिषद्, अनुसंधान परिषद् और विस्तार शिक्षा का सदस्य होगा।

(iv) शिक्षा निदेशक

(1) शिक्षा निदेशक परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्ण-कालिक वेतन-भोगी अधिकारी होगा।

(2) शिक्षा निदेशक किराया मुक्त और असुसज्जित आवासीय मकान का हकदार होगा।

(3) शिक्षा निदेशक पांच वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा और वह पुनर्नियुक्ति का भी पात्र होगा। परंतु शिक्षा निदेशक 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात आपने पद पर नहीं रहेगा।

(4) शिक्षा निदेशक विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों में सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए योजना बनाने, समन्वयन करने और पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(v) अनुसंधान निदेशक

(1) अनुसंधान निदेशक परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालयों का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) अनुसंधान निदेशक किराया मुक्त और असुसज्जित आवास का हकदार होगा।

(3) अनुसंधान निदेशक पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद ग्रहण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

परंतु अनुसंधान निदेशक 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद अपने पद पर नहीं रहेगा।

(4) अनुसंधान निदेशक विश्वविद्यालय के सभी अनुसंधान कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करने और समन्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा और अपनी ड्यूटियों को निभाने के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(5) अनुसंधान निदेशक विश्वविद्यालय के अनुसंधान परिषद् का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(vi) विस्तार शिक्षा निदेशक

(1) विस्तार शिक्षा निदेशक परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति के सिफारिशों पर नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी होगा।

परंतु विस्तार निदेशक वर्ष की आयु पूरी करने पर अपने पद से हट जाएगा।

(2) विस्तार शिक्षा निदेशक किराया मुक्त और असुसज्जित आवास का हकदार होगा।

(3) विस्तार शिक्षा निदेशक पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद ग्रहण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

परंतु विस्तार शिक्षा निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने पर अपने पद से हट जाएगा।

(4) विस्तार शिक्षा निदेशक विश्वविद्यालय के सभी अनुसंधान कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करने और

समन्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा और अपनी ड्यूटियों को निभाने के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(5) विस्तार शिक्षा निदेशक विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा परिषद का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(vii) पंजीयक

(1) पंजीयक बोर्ड द्वारा सांविधि 31ii के अंतर्गत विधिवत रूप से गठित समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। वह अपनी ड्यूटी का निष्पादन करने के लिए कुलपति को जवाबदेह होगा।

(2) वह पांच वर्ष के लिए नियुक्ति किया जाएगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) वह प्रतिनियुक्ति पर निर्धारित अवधि के लिए नियुक्ति होगा जो पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(4) पंजीयक की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो आध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जा सकती है;

परंतु पंजीयक साठ वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(5) किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति के मामले में, उसकी कार्य अवधि, परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार होगी।

(6) जब पंजीयक का पद खाली हो या जब पंजीयक बीमारी की वजह से या किसी अन्य करण से अपनी ड्यूटी निभाने में असमर्थ हो तो उसके पद की ड्यूटी ऐसे व्यक्ति द्वारा निभायी जाएंगी जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकता है।

पंजीयक की शक्तियां और ड्यूटी

(क) पंजीयक के पास अध्यापकों के अलावा ऐसे कर्मचारियों, जो बोर्ड के आदेश में विनिर्दिष्ट हों, के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें पूछताछ पूरी होने तक निंलबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर निंदा की शास्ति लगाने या वेतन वृद्धि पर रोक लगाने की शक्ति होगी;

परंतु कोई भी शास्ति तब तक नहीं लगाई जाएगी जब तक उस संबंधित व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के लिए कारण बताने का उपयुक्त अवसर और उपयुक्त समय नहीं दिया गया है।

(ख) उप खंड (क) में निर्धारित शास्तियों में से लगाई जा रही किसी भी शास्ति के संबंध में पंजीयक के आदेश के खिलाफ अपील कुलपति को की जाएगी।

(ग) ऐसी स्थिति में जहां पूछताछ से यह पता चलता हे कि शास्ति पंजीयक की शक्ति से बाहर है, पंजीयक पूछताछ के समापन के बाद कुलपित को अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कुलपति द्वारा शास्ति लगाए जाने के आदेश के खिलाफ कोई भी अपील बोर्ड को भेजी जा सकती है।

(7) पंजीयक परिषद और शैक्षणिक परिषद का पदेन सचिव होगा परंतु उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का भी सदस्य नहीं माना जाएगा।

(8) पंजीयक - के कर्तव्यय-

(क) रिकार्ड, सामान्य मुहर और विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा जिसे बोर्ड उसके प्रभार में देती है;

(ख) बोर्ड, शैक्षणिक परिषद और उन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी करेगा;

(ग) बोर्ड, शैक्षिणक परिषद और उन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की सभी बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा;

(घ) बोर्ड और शैक्षणिक परिषद के सरकारी पत्राचार का संचालन करेगा;

(ङ) अध्यादेशों या अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित तरीकों के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए प्रबंध करेगा;

(च) ज्योंयही विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठक की कार्यसूची और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त् जारी किए जाते हैं; उनकी प्रतियां कुलाध्यक्ष को भेजेगा;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा या विद्यालय के खिलाफ वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना और अभिवचनों का सत्यापन करना या इस उद्देश्य के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजना; और

(ज) ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो सांविधियों, अध्यादेशों या विनियमों मे विनिर्दिष्ट किए गए हों या बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित किए जा सकते हैं।

(viii) लेखा नियंत्रक

(1) लेखा नियंत्रक परिषद द्वारा सांविधि 31ii के अंतर्गत विधिवत रूप से गठित समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। वह अपनी ड्यूटी का निष्पादन करने के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(2) वह पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) लेखा नियंत्रक निर्धारित समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जाएगा जो पांच वर्ष से अधिक की अवधि नहीं होगी।

(4) लेखा नियंत्रक की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो आध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जा सकती है; ऐसी स्थिति में जहां कोई व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा रहा हो उसका कार्यकाल, परिलब्धिया और सेवा की अन्य शर्तें प्रतिनियुक्ति के मानकों के अनुसार होंगी

परंतु लेखा नियंत्रक साठ वर्ष की आयु पूरा करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(5) जब लेखा नियंत्रक का पद खाली हो या जब लेखा नियंत्रक बीमारी की वजह से या किसी अन्य कारण से अपनी ड्यूटी निभाने में असमर्थ हो तो उसके पद की ड्यूटी ऐसे व्यक्ति द्वारा निभायी जाएंगी जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकता है।

(6) लेखा नियंत्रक वित्त समिति का पदेन सचिव होगा परंतु उसे ऐसी समिति का सदस्य नहीं माना जाएगा।

(7) लेखा नियंत्रक –

(क) विश्वविद्यालय की निधियों की सामान्य निगरानी रखेगा और इसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा; और

(ख) वह ऐसे कार्यों को करेगा जो सांविधियों, अध्यादेशों में निर्धारित किये गए हों या बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित किये गये हों।

(8) बोर्ड के नियंत्रकों के अध्यधीन, लेखा नियंत्रक–

(क) न्यास और वृत्तिदान संपत्ति सहित विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेशों का निधार्रण और प्रबंधन करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए निर्धारित सीमाएं बढ़ायी नहीं गयी है और पूरी निधियां उसी उद्देश्य के लिए खर्च की गयी है जिसके लिए वे स्वीकृत या आंवटित की गयी है;

(ग) विश्वविद्यालय वार्षिक खाता और बजट तैयार करने और उन्हें बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) रोकड़ की स्थिति और बैंक अधिशेष और निवेशों की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखेगा;

(ङ) राजस्व के एकत्रीकरण की प्रगति पर निगरानी रखेगा और अपनाई गई वसूली की विधियों पर सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्ट्रार अद्यतन रखे गए है और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित सभी कार्यालयों में उपस्करों एवं अन्य उपभोज्य सामग्रियों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थांनों के स्टाक की जांच की गई है।

(छ) अनाधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा और दोषी व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव देगा; और

(ज) अपनी ड्यूटियों का निष्पादन करने के लिए किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय या संस्थोन से ऐसी सूचना या विवरण मांगेगा जो वह आवश्य क समझे;

(9) विश्वविद्यालय को भुगतान की जाने वाली किसी भी निधि के लिए लेखा नियंत्रक या इस संबंध में बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दी गई किसी रसीद को ऐसी निधि के भुगतान के लिए पर्याप्त भुगतान समझा जाएगा।

(ix) विभागों के अध्यक्ष

(1) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो एसोसिएट प्रोफेसर से कम की पदवी का नहीं होगा और जिसकी ड्यूटियां, कार्य तथा नियुक्ति की शर्तें और निंबधन आध्यादेश द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(2) वह अध्यापन के लिए संकायाध्यक्ष, अनुसंधान के लिए अनुसंधान निदेशक ओर विस्तार शिक्षा कार्य के लिए निदेशक शिक्षा विस्तार के प्रति उत्तरदायी होगा। तथापि, संकायाध्यक्ष संबंधित महाविद्यालय में विभागाध्यक्षों का प्रशासनिक नियंत्रण कारी अधिकारी होगा;

परंतु यदि किसी विभाग में एक से अधिक प्रोफेसर हों तो विभाग अध्यक्ष कुलपति द्वारा प्रोफेसरों में से नियुक्ति किया जाएगा;

बशर्ते ऐसी स्थिति में जहां विभाग में केवल एक प्रोफेसर होता है, वहां कुलपति के पास प्रोफेसर या असोसिएट प्रोफेसर को विभाग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने का विकल्प होगा;

परंतु साथ ही जहां विभाग में कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है वहां कालेज का संकायाध्यक्ष विभाग अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेगा या कुलपति के अनुमोदन से महाविद्यालय के किसी अन्य विभाग के अध्यक्ष को यह ड्यूटी सुपुर्द करेगा।

(3) प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पास विभाग अध्यक्ष की नियुक्ति को मना करने की छूट होगी।

(4) विभाग अध्यक्ष के तौर से इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर तीन वर्ष तक की अवधि के लिए अपना पदग्रहण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(5) विभाग प्रमुख अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।

(6) विभाग प्रमुख ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो अध्यादेश द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं;

(7) विभाग प्रमुख पैंसठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा।

(x) पुस्तकालयाध्यक्ष

(1) पुस्तकालयाध्यक्ष परिषद द्वारा सांविधि 31ii के अंतर्गत विधिवत रूप से गठित समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) प्रत्येक पुस्तकालय अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी ड्यूटियों का निष्पादन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सुपुर्द की जा सकती है;

(xi) प्रबंधन बोर्ड का गठन, शक्तियां और कार्य

(1) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामत:

(i) कुलपति, पदेन अध्यलक्ष

(ii) सीएयू को भूमि देने वाले राज्यों के कृषि विभाग, पशु पालन, मात्स्यिकी और बागवानी विभागो के प्रभारी सचिवों में से तीन सचिव कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे;

परंतु राज्य से बोर्ड में एक समय पर दो से अधिक सचिव नहीं होंगे;

(iii) कुलाध्यक्ष द्वारा तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक नामित किए जाएंगे;

(iv) कुलाध्यक्ष द्वारा कृषि विकास में विशेष जानकारी रखने वाला कृषि-आधारित उद्योगों या निर्माताओं का प्रतिनिधित्वत करने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति;

(v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधित्व करने वाला उप महानिदेशक (शिक्षा)

(vi) कुलपति द्वारा क्रमानुवर्ती आधार पर नामित किए जाने वाला महाविद्यालय का एक संकायाध्यक्ष और एक निदेशक;

(vii) कुलपति द्वारा क्रमानुवर्ती आधार पर वर्णानुक्रम में नामित किए गए क्षेत्र के किसानों का प्रतिनिधत्व् करने वाले दो व्यक्ति

(viii) कुलपति द्वारा नामित की जाने वाली एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता जो क्षेत्र से महिला सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करती हो;

(ix) एक सलाहकार (कृषि), योजना आयोग;

(x) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन या पर्यावरण प्रबंधन संबंधी एक प्रतिष्ठित प्राधिकारी;

(xi) भारत सरकार के संबंधित सचिव द्वारा नामित किए जाने वाले कम से कम संयुक्त सचिव पद के दो व्यक्ति जो क्रमश: भारत सरकार के कृषि और पशुपालन विभागों से संबंध रखते हों;

(xii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधत्व करने वाले सचिव का नामिती;

(xiii) विश्वविद्यालय का पंजीयक-सचिव

(2) पदेन सदस्यों के अलावा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(3) बोर्ड के पास अन्यथा प्रावधान न किए गए विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति तथा विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनात्मक मामलों के संचलन का प्रबंध और प्रशासन करने की शक्ति होगी।

(4) इस अधिनियम के प्रावधानों, सांविधियों और अध्यादेशों के अध्यधीन बोर्ड के पास उसमें निहित सभी शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी, नामत:-

(i) अध्यापन और शैक्षणिक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या और परिलब्धियों का निर्धारण करना और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ड्यूटियों और सेवा शर्तों को निर्धारित करना,

(ii) ऐसे अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को नियुक्त करना, जो आवश्यक हों और इस उद्देश्य् के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कालेजों के संकायाध्यक्ष, निदेशक और प्रमुखों को नियुक्तय करना और अस्थायी रिक्तियां भरना;

(iii) प्रशासकीय, लिपिकीय और अन्यक आवश्यक पदों का सृजन करना और आध्यादेशों द्वारा निर्धारित ढंग से नियुक्तियां करना;

(iv) कर्मचारियों में सांविधियों और अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन कायम रखना और लागू कराना;

(v) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, संपत्ति, व्यापार और अन्य प्रशासकीय मामलों का प्रबंधन और नियंत्रण करना और उस उद्देश्य के लिए ऐसे एजेंट की नियुक्ति करना जो वह उचित समझे:

(vi) वित्तीय समिति की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय के संबंध में सीमाएं निर्धारित करना;

(vii) किसी अनुप्रयुक्त व्यय सहित विश्वविद्यालय संबंधी किसी धन को समय-समय पर ऐसे स्टॉक, फंड, शेयर या प्रतिभूतियों, जो यह उचित समझे, में निवेश करना या समय-

समय में ऐसे निवेश को परिवर्तित करने जैसी शक्तियों के साथ भारत में अचल संपत्ति की खरीद में निवेश करना;

(viii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल संपत्ति को हस्तांतरण करना और उसके हस्तांतरण को स्वीकार करना;

(ix) विश्वविद्यालय के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर एवं उपकरण और अन्य साधनों को उपलब्ध कराना;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से संविदायें करना, बदलना, क्रियान्वित करना और रद्द करना;

(xi) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और विद्यार्थियों की किसी भी शिकायत पर विचार करना, निर्णय देना और, यदि आवश्यक समझा जाए जो उसका समाधान करना;

(xii) परीक्षकों या विशेषज्ञों या पारामर्शदाताओं, सलाहकारों और विशेष ड्यूटी संबंधी अधिकारियों के शुल्क, मानदेय, परिलब्धियां और यात्रा भत्ता नियत करना;

(xiii) विश्विविद्यालय के लिए एक सामान्य मोहर का चुनाव करना और मोहर की अभिरक्षा और प्रयोग का प्रावधान करना;

(xiv) महिला छात्रों के आवास और अनुशासन के लिए ऐसे विशेष प्रबंध करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(xv) कुलपति, संकायाध्याक्ष, निदेशक, पंजीयक या लेखा नियंत्रक या विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकरण या इसके द्वारा नियुक्त समिति, जैसा यह उचित समझे, को इसकी शक्तियां प्रत्यायोजित करना;

(xvi) फैलोशिप, छात्रवृत्ति शिक्षावृत्ति, मेडल और पुरस्कार शुरू करना;

(xvii) अतिथि प्रोफेसर, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, परामर्शदाता और विशेष ड्यूटी संबंधी अधिकारियों और विद्वानों की नियुक्ति का प्रावधान करना और ऐसी नियुक्ति की शर्तों और निबंधनों का निर्धारण करना;

(xviii) ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग करना और ऐसी अन्य ड्यूटियों का निष्पादन करना जो अधिनियम या सांविधियों द्वारा इस पर प्रदत्त जी जा सकती हों।

(xii) बोर्ड की बैठक के लिए कोरम

1. बोर्ड की बैठक के लिए बोर्ड के पांच सदस्य कोरम निर्मित करेंगे।

(xiii) शैक्षणिक परिषद का गठन और शक्तियां

(1) शैक्षणिक परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामत:

(i) कुलपति, पदेन अध्यक्ष;

(ii) विश्विविद्यालय के महाविद्यालय के सभी संकायाध्यक्ष;

(iii) विश्विविद्यालय का अनुसंधान निदेशक;

(iv) विश्विविद्यालय का विस्तार शिक्षा निदेशक;

(v) शिक्षा निदेशक

(vi) कुलपति द्वारा क्रमावर्तन आधार पर नामित किया जाने वाला एक पुस्तकालयाध्यक्ष;

(vii) विश्वविद्यालय के बाहर से सहयोजित किये जाने वाले एवं कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले दो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक;

(viii) कुलपति द्वारा प्रत्येक संकाय से कम से कम एक अध्यक्ष को नामित करते हुए सात विभागाध्यक्ष;

(ix) विश्वविद्यालय का पंजीयक पदेन सचिव

(2) पदेन सदस्यों के अलावा शैक्षणिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

(3) अधिनियम, सांविधियों और अध्यादेशों के अध्यधीन परिषद के पास इस पर निहित सभी शक्तियों के अतिरिक्ति निम्नलिखित शक्तियां होंगी। नामत:

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और शिक्षण विधियों, कालेजों एवं संस्थानों के बीच सहकारी अध्यापन, शैक्षणिक मानकों में मूल्यांकन और सुधार के संबंध में निर्देश देना;

(ख) अंतर-कालेज समन्वय करना और शैक्षणिक मामलों पर समिति स्थापित करना या नियुक्त करना;

(ग) या तो स्वरयं की पहल या कालेज या बोर्ड द्वारा संदर्भ पर सामान्य् शैक्षिणक हित के मामलों पर विचार करना और उस पर उचित कार्रवाई करना; और

(घ) विश्वविद्यालय के शैक्षिणक कार्यकलाप, अनुशासन, आवास, प्रवेश, फैलोशिप एवं शिक्षावृत्ति पुरस्कार, शुल्क, रियायत, कार्पोरेट जीवन और उपस्थिति, के संबंध में ऐसे विनियम और नियम तैयार करना जो सांविधियों और अध्यादेशों के समनुरूप हों।

(xiv) शैक्षणिक परिषद की बैठकों के लिए कोरम

शैक्षणिक परिषद की बैठकों के लिए शैक्षणिक परिषद के एक तिहाई सदस्य कोरम निर्मित करेंगे।

(xv) बोर्ड आफ स्टडीज

(1) प्रत्येक संकाय के पास एक बोर्ड आफ स्टडी होगा।

(2) प्रत्येक संकाय के बोर्ड आफ स्टडी का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा:-

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष - अध्यक्ष

(ii) अनुसंधान निदेशक - सदस्य

(iii) विस्तार शिक्षा निदेशक - सदस्य

(iv) संकाय के सभी विभागाध्यक्ष जो एसोसिएट प्रोफेसर की पदवी से कम पदवी के न हों - सदस्य

(v) कुलपति द्वारा नामित किया जाने वाला शैक्षणिक परिषद का एक प्रतिनिधि जो किसी संकाय विशेष से संबंध नहीं रखता हो;

(vi) कुलपति द्वारा कृषि शिक्षा प्रणाली, जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हो से नामित किए जाने वाले दो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक;

(vii) उच्चतम औसत समग्र श्रेणी अंक (ओजीपीए) प्राप्त करने वाला फाइनल वर्ष का एक स्नातकोत्तर विद्यार्थी–सदस्य

(viii) संकाय का पंजीयक (शैक्षणिक) – सदस्य

(ix) शिक्षा निदेशक – सदस्य

(3) बोर्ड आफ स्टडीज का कार्य शैक्षणिक परिषद को संबंधित संकाय द्वारा दी जाने वाली विभिन्न डिग्री के लिए निर्धारित किए जाने वाले विषय पाठ्यक्रम की सिफारिश करना और निर्धारित अनुमोदित विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त सिफारिश करना होगा, नामत:–

(क) अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षकों की नियुक्ति, परंतु इसमें अनुसंधान डिग्री शामिल नही है;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और

(ग) अध्यापन और अनुसंधान मानक का सुधार करने के लिए उपाय;

(xvi) वित्त समिति

(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामत:–

(i) कुलपति – अध्यक्ष

(ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का वित्तीय सलाहकार, या उसका नामिती जो उप सचिव की पदवी से नीचे की पदवी का न हो;

(iii) बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले तीन व्यक्ति जिसमें से कम से कम एक बोर्ड का सदस्य होगा;

(iv) कुलाध्यक्षय द्वारा नामित किए जाने वाले तीन व्यक्ति ; और

(2) विश्वविद्यालय का लेखा नियंत्रक – सदस्य सचिव

(3) वित्त समिति के तीन सदस्य वित्त समिति की बैठक के लिए कोरम निर्मित करेंगे।

(4) पदेन सदस्यों को छोड़कर, वित्तीय समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(5) वित्तीय समिति का कोई सदस्य यदि वित्त समिति के निर्णय से सहमत नहीं है तो उसके पास अपनी असहमति के कार्यवृत्तक दर्ज कराने का अधिकार होगा।

(6) लेखों की जांच करने और खर्च के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति की साल में कम से कम दो बार बैठक होगी।

(7) पदों के सृजन और वे मद जो बजट में शामिल नहीं किए गए हैं, से संबंधित प्रत्येक प्रस्तावों पर बोर्ड द्वारा विचार किए जाने से पहले वित्ति समिति द्वारा जांच की जाएगी।

(8) लेखा निंयत्रक द्वारा तैयार किए गए विश्विविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय बजट प्राक्कलन, विचार और टिप्पणियों के लिए वित्त समीति के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे और उसके पश्चात अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किए जायेंगे।

(9) वित्त समिति विश्वविद्यालय की आय और स्रोतों के आधार पर वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय तथा कुल गैर–आवर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी (जिसमें, उपयोगी कार्यों के संबंध में ऋणों के रूप में प्राप्त राशियां सम्मिलित होंगी)।

(xvii) चयन समितियां

(1) शिक्षकों, नियंत्रक, पंजीयक, पुस्तकालयाध्यक्षों, महाविद्यालयों के संकायाध्याक्षों तथा विश्वविद्यालय के अतंर्गत आने वाले अन्य संस्थाओं के निदेशकों एवं प्रमुखों की नियुक्ति हेतु बोर्ड को सिफारिश करने के लिए एक चयन समिति होगी।

(2) निम्नलिखित तालिका के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में सदस्य उक्त तालिका के स्तंभ 3 में तद्नुरूप प्रविष्टियों के अनुसार होंगे :

तालिका

1	2	3
क.	निदेशक/संकायाध्यकक्ष	(i) कुलपति या उनके नामिती – अध्यसक्ष (ii) कुलाध्ययक्ष का एक नामिती ङ्क सदस्यं (iii) कुलपति या उनके समकक्ष (सेवारत या सेवानिवृत) के स्तर या उनसे उच्च श्रेणी के तीन प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिन्हें कुलपति द्वारा बोर्ड से अनुमोदित 6 नामों के पैनल में से नामित किया जाना है – सदस्य
ख.	प्रोफेसर/समकक्ष	(i) कुलपति या उनके नामिती – अध्यक्ष (ii) कुलाध्ययक्ष का एक नामिती – सदस्य (iii) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष – सदस्यञ (iv) अनुसंधान निदेशक या विस्तार शिक्षा निदेशक या शिक्षा निदेशक, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाना है – सदस्यि (v) प्रभागाध्यक्ष या उनके समकक्ष (सेवारत या सेवानिवृत) के स्तर या उनसे उच्चत श्रेणी के तीन प्रसिद्ध विषयपरक विशेषज्ञ जिन्हें कुलपति द्वारा बोर्ड से अनुमोदित 6 नामों के पैनल में से नामित किया जाना है – सदस्य
ग.	एसोसिएट–प्रोफेसर/ सहायक प्रोफेसर/ समकक्ष	(i) कुलपति या उनके नामिती – अध्यक्ष (ii) कुलाध्ययक्ष का एक नामिती – सदस्यक (iii) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष – सदस्या (iv) शिक्षा निदेशक या अनुसंधान निदेशक या विस्तासर शिक्षा निदेशक, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाना है – सदस्य (v) संबंधित विभाग का प्रभागाध्यक्ष, जो कि प्रोफेसर की श्रेणी से कम का न हो – सदस्य (vi) प्रोफेसर या उसके समकक्ष (सेवारत या सेवानिवृत) के स्तर या उनसे उच्च श्रेणी के दो प्रसिद्ध शिक्षक जिन्हें कुलपति द्वारा बोर्ड से अनुमोदित 6 नामों के पैनल में से नामित किया जाना है – सदस्य
घ.	पंजीयक/लेखा नियंत्रक/ पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) कुलपति या उनके नामिती – अध्यक्ष (ii) कुलाध्ययक्ष का एक नामिती – सदस्य (iii) एक निदेशक/ संकायाध्यधक्ष, जिन्हें कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाना है – सदस्य (iv) संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ, जिन्हें कुलपति द्वारा बोर्ड से अनुमोदित 6 नामों के पैनल में से नामित किया जाना है – सदस्य

(3) कुलपति या उनकी अनुपस्थिति में उनका नामिती चयन समिति के बैठकों की अध्यिक्षता करेगा :

परंतु चयन समिति की बैठकें कुलाध्यक्ष के नामितियों के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात निर्धारित की जाएंगी।

बशर्ते यह कि चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक मान्य नहीं होंगी जब तक कि विश्वविद्यालय की सेवा से बाहर के कम से कम दो सदस्य बैठक में उपस्थित न हों।

(4) चयन समिति की बैठक कुलपति या उनकी अनुपस्थिति में उनके नामिती द्वारा बुलाई जाएगी।

(5) चयन समिति द्वारा सिफारिश करने में अपनाई जाने वाली कार्यविधि समिति द्वारा साक्षात्कार से पहले निर्धारित की जाएगी।

(6) यदि, बोर्ड चयन समिति की सिफारिशें स्वीकार नहीं करता है तो उसे तत्संबंध में कारण दर्ज करने होंगे और मामले को अंतिम आदेश के लिए कुलाध्यसक्ष के पास भेजना होगा।

(7) अस्थाई पदों पर नियुक्तियां निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी :

(i) कुलपति को किसी व्यक्ति को तदर्थ आधार पर 6 माह तक की अवधि के लिए, जिसे बोर्ड के अनुमोदन से आगामी 6 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, नियुक्त करने का प्राधिकार होगा:

(ii) परन्तु यदि कुलपति इस बात से संतुष्ट हैं कि कार्य हित में पद को भरना जरूरी है तो उपखंड में निर्दिष्ट स्थायी चयन समिति द्वारा नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई आधार पर 6 माह की अवधि तक की जा सकती है।

(iii) यदि अस्थाई रिक्ति 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो उक्त रिक्ति पर नियुक्ति स्थायी चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें संबंधित महाविद्यालय का संकायाध्यथक्ष, प्रभागाध्यक्ष तथा कुलपति का एक नामिती होगा।

(iv) परन्तु यदि संकायाध्यक्ष और प्रभागाध्यक्ष का कामकाज एक ही व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामिती हो सकते हैं।

(v) और परन्तु, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या किसी अन्य कारण से शिक्षण पदों में अचानक अस्थाई रूप से पद खाली रहते हैं तो संकायाध्यक्ष संबंधित प्रभागाध्यकक्ष के परामर्श से 1 माह के लिए अस्थाई नियुक्ति कर सकता है और उक्त नियुक्ति के बारे में उन्हें कुलपति और पंजीयक को सूचित करना होगा।

(vi) अस्थाई रूप से नियुक्त कोई भी शिक्षक, यदि नियमों के अधीन उसकी नियुक्ति के लिए नियमित चयन समिति द्वारा संस्तुति नहीं की गई है, तब तक उक्त अस्थाई नियोजन पर कार्य नहीं करेगा जब तक कि स्थाई चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा तत्पश्चात उसका अस्थाई या स्थाई नियुक्ति के लिए, जो भी स्थिति हो, चयन नहीं किया जाता।

(8) गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए चयन समिति के गठन की प्रक्रिया, जिसे नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, को अधिदेशों के द्वारा विनिर्दिष्टक किया जाएगा।

(xviii) नियुक्ति की विशेष प्रक्रिया

(1) संविधि xviii में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड किसी भी व्यक्ति को, जिसने उच्च शिक्षा विशेषता के साथ प्राप्त की हो और जो वृत्तिक रूप से प्रवीण हो, विश्वविद्यालय में ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझते हों, प्रोफेसर, एसोसिएट-प्रोफेसर या किसी अन्य शिक्षण पद, जैसी भी स्थिति हो, स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकता है और उसके सहमत होने पर उसे नियुक्त, कर सकता है।

(2) बोर्ड, अधिदेशों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कोई संयुक्त परियोजना आरंभ करने हेतु किसी शिक्षक या किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत किसी अन्य शिक्षण स्टाफ को नियुक्त कर सकता है।

(xix) नियत अवधि के लिए नियुक्ति

(1) बोर्ड संविधि xviii में उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार चयनित किसी व्यक्ति को एक निर्धारित अवधि के लिए ऐसे निबंधों एवं शर्तों पर नियुक्त कर सकता है, जिसे वह उचित समझता है।

(xx) निदेशक, संकायाध्यक्ष, प्रोफेसर आदि की अर्हताएं

(1) निदेशक, संकायाध्यक्ष, प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर तथा विभिन्न संकायों के सहायक प्रोफेसर और अनुसंधान एवं विस्तार शिक्षा में उनके समकक्षों की अर्हताएं अधिदेशों में विनिर्दिष्ट अर्हताओं के अनुसार होंगी।

(2) गैर-शिक्षण स्टाफ की अर्हता को अधिदेशों के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(xxi) समितियां

(1) विश्वविद्यालयों के प्राधिकारी, जैसा कि पूर्व में विनिर्दिष्ट किया गया है, उतनी स्थाई या विशेष समितियों की नियुक्ति कर सकते हैं जैसा कि वह उचित समझते हैं और उक्त समितियों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं जो कि कथित प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं।

(2) खंड (I) के अधीन नियुक्त कोई भी कथित समिति उसे प्रत्यायोजित किसी भी विषय को देख सकती है बशर्ते कि उस प्राधिकारी द्वारा उनका पुष्टिकरण किया गया हो, जिसने उसे नियुक्त किया है।

(xxii) शिक्षकों आदि की सेवा शर्तें एवं निबंधन और आचार-सहिंता

(1) विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक और अन्य शिक्षण स्टाफ, विपरीत अनुबंध के अभाव में, नियमों, अधिदेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा निबंधन एवं शर्तों और आचार-सहिंता से अभिशासित होंगे।

(2) विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक और अन्य स्टाफ को लिखित संविदा पर नियुक्त किया जाएगा, जिसकी अवधि अधिदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(3) खंड (2) में उल्लिखित प्रत्येक संविदा की एक प्रतिलिपि पंजीयक के पास जमा कराना होगी।

अन्य कार्मिकों की सेवा शर्तें एवं निबंधन और आचार-सहिंता

विश्वविद्यालय के समस्त गैर-शिक्षण कार्मिक, विपरीत अनुबंध के अभाव में, समय-समय पर निर्मित

संविधि, अधिदेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा निबंधन एवं शर्तों और आचार-सहिंता से अभिशासित होंगे।

वरिष्ठता सूची

(1) जब भी, संविधि के अनुसार, कोई व्यक्ति वरिष्ठता के अनुसार क्रमवार विश्वविद्यालय के कार्यालय का कामकाज देखता है या उसे किसी प्राधिकरण का सदस्य बनाया जाता है, तो कथित वरिष्ठता को कथित व्यक्ति के ग्रेड में नियमित सेवा की अवधि और अन्य सिद्धांतों के अनुसार, जिन्हें समय-समय पर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, निर्धारित किया जाएगा।

(2) पंजीयक की ऐसे व्यक्तियों की प्रत्येक श्रेणी जिन पर इन नियमों के उपबंध लागू होते हैं, के संबंध में, खंड (1) के उपबंधों के अनुसार एक पूर्ण एवं अद्यतन वरिष्ठता सूची तैयार और कायम रखने की उत्तेरदायित्व होगी।

(3) यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की किसी विशेष ग्रेड में स्थाई सेवा की अवधि एक समान है या किसी भी व्यक्ति की पारस्परिक वरिष्ठता अन्यथा संदेहास्पकद है, तो पंजीयक, स्वयं के प्रस्ताव और किसी व्यक्ति के अनुरोध पर मामले को बोर्ड के पास भेजेगा जिसका तत्संबंध में निर्णय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय के कार्मिकों का निष्कासन

(1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शिक्षण स्टाफ के किसी सदस्य या अन्यभ कर्मी के विरुद्ध कदाचार का आरोप लगा है, वहां कुलपति, शिक्षक या शिक्षण स्टाफ के सदस्य के मामले में और नियुक्ति करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसके बाद नियुक्ति प्राधिकारी कहा जाएगा), अन्य कर्मी के मामले में, लिखित आदेश के माध्यम से कथित शिक्षक, शिक्षण स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मी को, जो भी स्थिति हो, निलम्बित कर सकता है और तत्काल रूप से बोर्ड को उन परिस्थितियों के बारे में सूचित करेगा जिनके आधार पर आदेश जारी किया गया था :

बशर्ते बोर्ड की यदि राय यह है कि मामले की परिस्थितियां शिक्षक या शिक्षण स्टाफ के सदस्य के निलम्बन को सही नहीं ठहराती हैं, तो वह कथित आदेश को निरस्त कर सकता है।

(2) कर्मियों की नियुक्ति के संविदा की शर्तों या सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड को शिक्षक और अन्य शिक्षण स्टाफ के संबंध में, और नियुक्ति प्राधिकारी को अन्य कर्मियों के मामले में कदाचार के कारणों से शिक्षक या शिक्षण स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मियों, जैसी भी स्थिति हो, को निष्कासित करने की शक्ति होगी।

(3) पूर्वोक्त को छोड़कर, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी, जो भी स्थिति हो, किसी शिक्षक, शिक्षण स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मी को किसी ठोस कारण के न होने पर निष्कासित करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसके बदले में उसे 3 माह का नोटिस या 3 माह के वेतन का भुगतान नहीं किया जाता।

(4) किसी भी शिक्षक, शिक्षण स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक निष्कासित नहीं किया जाएगा जब तक उसे अपने विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में अपना स्पष्टीकरण रखने का उचित अवसर नहीं दिया जाता।

(5) शिक्षक, शिक्षण स्टाफ के सदस्य और अन्य कर्मी का निष्कासन उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख में निष्कासन आदेश जारी किया गया है :

परन्तु जहां, शिक्षक, शिक्षण स्टाफ का सदस्य या अन्य कर्मी निष्कासन के समय पर निलम्ब के अधीन है, तो निष्कासन उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख में उसे निलंबित किया गया था।

(6) इस संविधि के पूर्वोक्त उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शिक्षण स्टाफ का सदस्य या अन्यी कर्मी त्यागपत्र दे सकता है, –

(क) यदि वह स्थाई कर्मी है तो उसे बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी, जो भी स्थिति हो, को लिखित रूप में तीन माह का नोटिस देना होगा या उसके एवज में तीन माह का वेतन अदा करना होगा;

(ख) यदि वह स्थाई कर्मी नहीं है तो उसे बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी, जो भी स्थिति हो, को लिखित रूप में एक माह का नोटिस देना होगा या उसके एवज में एक माह का वेतन अदा करना होगा :

परन्तु कथित त्यानगपत्र केवल उसी तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख में बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा त्यावगपत्र स्वीकार किया जाता है।

मानद डिग्रियां

(1) बोर्ड, शिक्षण परिषद की सिफारिश और परिषद में उपस्थित कम से कम दो तिहाई सदस्यों की वोटिंग के बहुमत से पारित एक संकल्प के आधार पर, मानद डिग्रियों को प्रदान करने हेतु कुलाध्यक्ष को प्रस्ताव भेज सकता है :

परन्तुं आपातकालीन स्थिति में, बोर्ड स्वयं ही ऐसे प्रस्ताव कर सकता है।

(2) बोर्ड, परिषद में उपस्थित कम से कम दो तिहाई सदस्यों की वोटिंग के बहुमत से पारित एक संकल्प के आधार पर और कुलाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई मानद डिग्री को वापस ले सकता है। व उसे निरस्त कर सकता है।

डिग्रियों को निरस्त करना आदि

बोर्ड, परिषद में उपस्थित कम से कम दो तिहाई सदस्यों की वोटिंग के बहुमत से पारित एक विशेष संकल्प के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान की गई डिग्री या शिक्षण उपाधि या कोई प्रमाण पत्र या डिप्लोमा को उचित कारणों के आधार पर वापिस ले सकता है :

परन्तु इस प्रकार का कोई संकल्प तब तक पास नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को लिखित में एक नोटिस नहीं दिया जाता और उसे इस प्रकार का संकल्प क्यों नहीं पारित किया जाना चाहिए के बारे में स्पष्टीकरण देने तथा उसकी आपत्तियों, यदि कोई हों, तथा उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं कर लिया जाता।

विश्वविद्यालयय के छात्रों द्वारा अनुशासन बनाए रखने के संबंध में

(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में, अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी।

(2) कुलपति उन अधिकारियों को, जिन्हें वह अपनी ओर से विनिर्दिष्ट कर सकते हैं, अपनी सभी या किसी भी शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकते हैं, जैसा कि वह उचित समझते हों।

(3) कुलपति, अनुसासन बनाए रखने या तत्संबंध में कार्रवाई करने, जैसा कुलपति अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित समझते हों, से संबंधित अपनी सामान्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपनी शक्तियों का निर्वहन करते हुए एक आदेश जारी कर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी भी छात्र या छात्रों को निष्कासित करने, या बहिष्करण करने या एक निश्चित अवधि के लिए विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग में किसी पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु प्रवेश नहीं दिए जाने, या आदेश में विनिर्दिष्ट राशि के साथ जुर्माना लगाकर दंड देने या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्था या विभाग द्वारा एक या अधिक वर्षों के लिए आयोजित परीक्षा या परिक्षाओं में बैठने की इजाजत न देने या परीक्षा या परीक्षाओं में संबंधित छात्र या छात्रों, जिनमें उसने या उन्होंने परीक्षा दी थी, के परिणामों को निरस्त करने का निदेश दे सकते हैं।

(4) महाविद्यालयों, संस्थाओं के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों के प्रमुखों का अपने संबंधित महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों पर ऐसी सभी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार होगा, जैसा कि कथित महाविद्यालयों, संस्थाओं और विभागों में शिक्षण हेतु आवश्यक समझा जाएगा।

(5) कुलपति की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संकायाध्याक्ष और खंड (4) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुशासन के विस्तृत नियम बनाए जाएंगे और विश्वविद्यालय द्वारा उचित अनुशासन सुनिश्चित किया जाएगा। महाविद्यालयों के संकायाध्य्क्ष, संस्थाओं और विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों के प्रमुख भी उपर्युक्तव प्रयोजनों हेतु अनुपूरक नियम, जैसा कि वह आवश्यक समझते हों, बना सकते हैं।

(6) प्रवेश के समय पर, प्रत्येक छात्र को एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि वह अनुशासन के संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य प्राधिकारियों के अनुशासनात्मक अधिकारिता के अधीन रहेगा।

महाविद्यालय के छात्रों द्वारा अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में

विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था के छात्रों के अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियां अधिदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष या संस्था, जैसी भी स्थिति हो, में निहित होंगी।

दीक्षांत समारोह

डिग्रियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों का आयोजन अधिदेशों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

कार्यवाहक अध्यक्ष

जब किसी समिति की बैठक की अध्ययक्षता करने के लिए अध्यक्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो या प्रावधान किया गया अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो या कुलपति ने लिखित में कोई व्यवस्था नहीं की हो, तो सदस्यों को अपने में से एक व्यक्ति को बैठक की अध्यक्षता करने हेतु अध्यक्ष चुनना होगा।

त्याग-पत्र

बोर्ड के पदेन सदस्य को छोड़कर, शिक्षण परिषद या विश्वविद्यालय के अन्यकप्राधिकरण या उक्त प्राधिकरण की कोई समिति का कोई भी सदस्य पंजीयक को पत्र संबोधित कर त्याग-पत्र दे सकता है और पंजीयक द्वारा कथित त्याग-पत्र प्राप्त करने की तारीख से त्याग-पत्र प्रभावी होगा।

अनहर्ताएं

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्य चुने जाने और सदस्य बने रहने के लिए किसी भी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाएगा -

(i) यदि वह विकृत चित्त का है;

(ii) यदि वह अनुन्मोचत दिवालिया घोषित किया गया है;

(iii) यदि उसे किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के कारण उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें तत्संबंध में छः माह से अधिक की सजा सुनाई गई है।

यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति अयोग्य है या उस पर वह खंड (द्व) में उल्लिखित अर्हताओं के अध्यधीन है, तो उक्त प्रश्न को कुलाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा और उनका निर्णय तत्संबंध में अंतिम होगा तथा किसी भी सिविल न्याययालय में उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई भी याचिका या अन्य कार्यवाहियां प्रस्तुत नहीं की जाएंगी।

सदस्यता के लिए नागरिकता की स्थिति और कार्यालय

संविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो कि भारत का नागरिक नहीं है, विश्वविद्यालय का अधिकारी बनने या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता

संविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में किसी पद को धारण करता है या किसी विशिष्ट प्राधिकरण के सदस्य के रूप में अपने पद पर विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है या कोई विशिष्ट नियुक्ति का धारक है, तब तक उक्त कार्यालय या सदस्यता को धारित करेगा जब तक कि वह उक्त विशिष्ट प्राधिकरण का एक सदस्य या विशिष्ट नियुक्ति का धारक, जैसी भी स्थिति हो, बना रहता है।

भूतपूर्व छात्रों का संघ

(1) विश्वविद्यालय के लिए भूतपूर्व छात्रों का एक संघ होगा।

(2) भूतपूर्व छात्र संघ की सदस्यता का अंशदान अधिदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) भूतपूर्व छात्र संघ का कोई भी सदस्य तब तक मतदान या चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह निर्वाचन की तारीख से पूर्व कम से कम एक वर्ष तक कथित संघ का सदस्य नहीं रहा हो और उसने कम से कम पांच वर्ष पूर्व अपनी डिग्री पूरी न की हो:

परन्तु एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने से संबंधित शर्त प्रथम निर्वाचन के संबंध में लागू नहीं होगी।

छात्र परिषद

छात्रों के कल्याण, खेल-कूद, ड्रामा, वाद-विवाद, सांस्कृतिक गतिविधियों सहित विभिन्नि गतिविधियों आदि के संबंध में, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को सिफारिशें करने हेतु प्रत्येक शिक्षण सत्र के लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालय में एक छात्र परिषद होगी और उक्त परिषद में निम्न शामिल होंगे :

(i) महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष - अध्यक्ष;
(ii) समस्त छात्रावासों के वार्डन;
(iii) कैम्पस सम्पदा अधिकारी;
(iv) पांच विभागाध्याक्ष, जिन्हें संकायाध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाना है;
(v) छात्रावास प्रीफैक्ट (निरीक्षक);
(vi) प्रत्येक कक्षा या वर्ष से एक छात्र, जिसने पिछले शिक्षण सत्र में उच्चतम समग्र ग्रेड प्वांइट औसत (ओजीपीए) प्राप्त किया है;
(vii) छात्र कल्याण अधिकारी - सदस्य सचिव

छात्र परिषद की बैठक प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार होगी।

अध्यादेश बनाने की प्रक्रिया

बोर्ड द्वारा इस अनुसूची में निर्धारित पहले अध्यादेश को किसी भी समय पर निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रकिया के अनुसार संशोधित और निरसन किया जा सकता है।

विनियमों में उल्लिखित विषयों को छोड़कर संविधियों में उल्लिखित विषयों के संबंध में तब तक कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा जब तक शिक्षण परिषद द्वारा कथित अध्यादेश के प्रारूप का प्रस्ताव नहीं किया जाता है।

बोर्ड के पास खंड (2) के अधीन शिक्षण परिषद द्वारा प्रस्ताथवित अध्यादेश के प्रारूप को संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी, परंतु वह प्रस्ताव को निरस्त कर सकता है या बोर्ड के सुझावों के अनुसार संशोधन के साथ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पुनर्विचार करने हेतु शिक्षण परिषद को भेज सकता है।

जहां, बोर्ड ने शिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश के प्रारूप को निरस्त या वापस लौटाया है, शिक्षण परिषद ऐसे मामले पर पुन: विचार कर सकती है और यदि मूल प्रारूप की पुष्टि कम से कम दो तिहाई मौजूद सदस्यों की वोटिंग के बहुमत से तथा शिक्षण परिषद के कुल सदस्यों के आधे से भी ज्यादा सदस्यों से की गई है, तो प्रारूप को बोर्ड को वापस भेजा जा सकता है, जिसे उसको या तो लागू करना होगा या कुलाध्यक्ष को भेजना होगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

बोर्ड द्वारा जारी प्रत्येक अध्यादेश को उसके लागू होने की तारीख से दो सप्ता के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। कुलाध्यक्ष को अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्तार के भीतर विश्वविद्यालय को

कथित अध्यादेश के कार्यान्वयन का निलंबन करने हेतु निदेश देने की शक्ति होगी और यथासंभव बोर्ड को प्रस्तावित अध्यादेश में अपनी आपत्तियों के बारे में सूचना देनी होगी।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियों को प्राप्त करने के उपरांत कुलाध्यक्ष अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को या तो निरस्त कर सकते हैं या उसे नामंजूर कर सकते हैं और उनका निर्णय अंतिम होगा।

विनियमन

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों की संगतता के अनुसार निम्नलिखत विषयों के लिए विनियमन बना सकते हैं :-

(i) अपनी बैठकों में अपनाई जाने वाली कार्यविधि तथा कोरम बनाने हेतु अपेक्षित सदस्यों की संख्या के बारे में;

(ii) अधिनियम, संविधियों या अध्यादेशों द्वारा अपेक्षित सभी विषयों के लिए प्रावधान करने हेतु, जिन्हें विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है;

(iii) ऐसे प्राधिकरणों या समितियों, जिन्हें उनके द्वारा नियुक्त किया गया है के लिए प्रावधान करना जिनके संबंध में अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों में प्रावधान नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण ऐसे विनियमन बनाएगा जिनमें कथित प्राधिकरणों के सदस्यों को बैठकों की तारीखों तथा बैठकों में विचार करने हेतु विषयों और बैठकों की कार्यवाहियों/ कार्यवृतों के बारे में नोटिस देने का प्रावधान किया जाएगा।

बोर्ड संशोधन हेतु ऐसी प्रक्रिया के लिए निर्देश दे सकता है जैसा कि वह संविधियों के अधीन बनाए गए किसी भी नियम या कथित विनियमन के निराकरण के लिए विनिर्दिष्ट कर सकता है।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

अधिनियम और संविधियों के उपबंधों के अध्याधीन विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपने अधीन या अपने से संबंधित नियंत्रण के अधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति को अपनी शक्ति इस शर्त पर प्रत्यायोजित कर सकता है कि कथित प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग के लिए समग्र उत्तरदायिता उसी की होगी।

अन्य संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग

विश्वविद्यालय के पास मास्टर और पीएच.डी. डिग्रियां प्रदान करने के लिए आंशिक अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु सहयोगात्मक स्नातकोत्तर अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करने के लिए किसी अनुसंधान और/ या किसी शिक्षण संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से अनुबंध करने की शक्ति होगी।

अनुसंधान परिषद का गठन और कार्य

(1) कृषि और सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की सामान्य अनुसंधान नीतियों एवं कार्यक्रमों का सामान्य पर्यवेक्षण करने हेतु विश्वविद्यालय की एक अनुसंधान परिषद होगी। अनुसंधान परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामत: -

(i) कुलपति - अध्यक्ष;

(ii) विस्तार शिक्षा निदेशक - सदस्य;

(iii) शिक्षा निदेशक - सदस्य;

(iv) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष - सदस्य;

(v) राज्य सरकारों के निदेशक एवं उनसे उच्च स्तर के नामिती – सदस्य;

(vi) विश्वविद्यालय के अनुसंधान दल के सभी समन्वयक – सदस्य;

(vii) दो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक जिन्हें कुलपति द्वारा तीन वर्षों के लिए मनोनीत किया जाना है – सदस्य;

(viii) अनुसंधान निदेशक – सदस्य सचिव।

(2) अनुसंधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी।

(3) अनुसंधान परिषद की बैठक के कोरम के लिए अनुसंधान परिषद के एक तिहाई सदस्य होंगे।

(4) यदि अनुसंधान परिषद के किसी सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिए जाने या अन्यथा अनुसंधान परिषद में कोई पद खाली रहता है, तो उसे शेष अवधि के लिए भरा जाएगा।

विस्तार शिक्षा परिषद का गठन और कार्य

(1) कृषि और सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र में विश्वविद्यालयय की विस्तार शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों के सामान्य पर्यवेक्षण के लिए विश्वविद्यालय की एक विस्तार शिक्षा परिषद होगी। विस्तार शिक्षा परिषद में निम्नलिखत सदस्य होंगे, नामत:-

(i) कुलपति – अध्यक्ष;

(ii) अनुसंधान निदेशक – सदस्य;

(iii) शिक्षा निदेशक – सदस्य;

(iv) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के सभी संकायाध्य क्ष – सदस्य;

(v) राज्य सरकारों के निदेशक एवं उनसे उच्च स्तएर के नामिती – सदस्य;

(vi) कुलपति द्वारा क्षेत्र से किसानों के प्रतिनिधियों और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता को तीन वर्षों के लिए मनोनीत किया जाना है – सदस्य;

(vii) विश्वविद्यालय से बाहर के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्हें कुलपति द्वारा दो वर्षों के लिए मनोनीत किया जाना है – सदस्य;

(viii) विस्तार शिक्षा निदेशक – सदस्य सचिव।

(2) विस्तार शिक्षा परिषद की एक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(3) विस्तार शिक्षा परिषद के बैठक के कोरम के लिए विस्तार शिक्षा परिषद के एक तिहाई सदस्य होंगे।

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, इत्यादि का लागू होना

(1) विश्वविद्यालय के सभी स्थाई कर्मियों पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और पेंशन उपदान और सामान्यय भविष्य निधि के संबंध में सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 लागू होंगे।

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 में भारत सरकार द्वारा किया गया कोई भी संशोधन विश्वविद्यालय के कर्मियों पर भी लागू होगा।

(3) पेंशन के संराशीकरण के संबंध में, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 लागू होंगे।

(4) कुलपति पेंशन को स्वीकृति देने के प्राधिकारी और पेंशन प्राधिकरण प्राधिकारी होंगे।

(5) पेंशन का भुगतान केन्द्रीयकृत होगा और उसे नियंत्रक कार्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

अनुबंध III

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
(कृषि शिक्षा प्रभाग)
कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा
नई दिल्ली-110012
टेलिफोन फैक्स : 25848045

फा. सं. शिक्षा 27/1/2013-ईक्यूआर दिनांक 20 मई, 2013

कार्यालय आदेश

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने माननीय कृषि मंत्री के अनुमोदन से नीचे दिए गए विचारार्थ विषयों के अनुसार देश में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित समिति गठित की है :

(i) डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, भकृअनुप - अध्यक्ष
(ii) डॉ. एस. एन. पुरी, कुलपति, सीएयू, इम्फाल - सदस्य
(iii) डॉ. एस. एल. मेहता, पूर्व उपमहानिदेशक (शिक्षा), भाकृअनुप - सदस्य
(iv) डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, निदेशक, एन डी आर आई, करनाल - सदस्य
(v) डॉ. ए. के. सिहं, कुलपति, आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर - सदस्य
(vi) डॉ. अरविंद कुमार, उप-महानिदेशक (शिक्षा) भाकृअप - सदस्य
(vii) डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एच आर डी) भाकृअप - सदस्य सचिव

विचारार्थ-वषय:

- केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए आवश्कता और व्यवहार्यता का निर्धारण करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना।
- केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के स्थापना के लिए उनके अभिशासन, शैक्षणिक कार्यक्रम, प्रशासन और संकाय की भर्ती के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करना।

सहायक महानिदेशक (ईक्यूआर) भी उपर्युक्त- समिति के सदस्य होंगे। समिति से अपनी रिपोर्ट छः मास की अवधि भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

गैर सरकारी सदस्य परिवहन भत्ते (केवल एअर इंडिया से हवाई यात्रा करने सहित), दैनिक भत्ते और बैठक में भाग लेने संबंधी भत्ते आदि को प्राप्त करने के हकदार होगे, जिन्हें भाकृअप के मानदंडों के अनुसार अदा किया जाएगा। व्यय को कृषि शिक्षा प्रभाग की भारत में कृषि शिक्षा का विकास और सुदृढीकरण' योजना स्कीम के ''शिक्षा गुणवत्ता आश्वासन और सुधार'' नामक मौजूदा उपशीर्ष से पूरा किया जाएगा।

ह./-
(एस. एस. होनाप्पागोल)
सहायक महानिदेशक (ईक्यूआर)

वितरण

1. डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, भाकृअप (पता : फाउंडेशन फॉर

एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकलचर एंड रूरल डिवेलपमेंट (एफएएआरडी), सरस्वती कुंज, नारायणपुर (दाफी), वाराणसी - 221005, उत्तर प्रदेश)

2. डॉ. एस. एन. पुरी, कुलपति, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इरोसेम्बा, इम्फाल - 795004, (मणिपुर)
3. डॉ. एस. एल. मेहता, पूर्व उप-महानिदेशक (शिक्षा) भाकृअप एवं पूर्व कुलपति, एमपीयूए एंड टी, उदयपुर (पता : 71, गोकुल नगर, उदयपुर - 313001, राजस्थान)
4. डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल - 142001 (हरियाणा)
5. डॉ. ए. के. सिंह, कुलपति, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर - 414002 (मध्य प्रदेश)
6. डॉ. अरविन्द कुमार, उप-महानिदेशक (शिक्षा), भाकृअप, कैब-।।, पूसा, नई दिल्ली-110012
7. डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी) भाकृअप, कैब-।।, पूसा, नई दिल्ली - 110012

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित

1. उप सचिव (शिक्षा), भाकृअप, कैब-।।, पूसा, नई दिल्ली-110012
2. वरिष्ठ एफ एंड एओ (शिक्षा) भाकृअप, कैब-।।, पूसा, नई दिल्ली-110012
3. उप-महानिदेशक (शिक्षा) के वैयक्तिक सहायक, कैब-II, पूसा, नई दिल्ली-110012
4. सहायक महानिदेशक (ईक्यूआर) के वैयक्तिक सहायक, कैब-II, पूसा, नई दिल्ली-110012

अनुबंध IV

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

शिक्षा प्रभाग, कृषि अनुसंधान भवन

नई दिल्ली-110012

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु 12 जून, 2013 को समिति कक्ष सं. 205, शिक्षा प्रभाग, भाकृअप-कैब-II में सायं 2.00 बजे आयोजित हुई समिति की बैठक की कार्यवाही

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु समिति की बैठक डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, भाकृअप की अध्यक्षता में **12 जून, 2013** को आयोजित की गई थी। बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1.	डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, भाकृअप	अध्यक्ष
2.	डॉ. अरविन्दि कुमार, उप-महानिदेशक (शिक्षा), भाकृअप, नई दिल्ली	सदस्य
3.	डॉ. एस. एन. पुरी, कुलपति, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	सदस्य
4.	डॉ. ए. के. सिंह, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर	सदस्य
5.	डॉ. एस. एल. मेहता, पूर्व कुलपति, एमपीयूएएंडटी, उदयपुर	सदस्य
6.	डॉ. डब्ल्यू. एस. लाकड़ा, सीआईएफई, मुम्बई	विशेष आमंत्रिती
7.	डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी) प्रभारी	सदस्य सचिव

डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल उनके पूर्व निश्चित कार्यक्रम के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके।

बैठक के आरंभ में डॉ. अरविंद कुमार, उप-महानिदेशक (शिक्षा) ने अल्प सूचना पर बैठक में भाग लेने के लिए सहमत होने पर सदस्यों और विशेष आमंत्रिती का स्वागत किया। उन्होंने इस महत्त्वपूर्ण समिति के गठन की पृष्ठभूमि के बारे में विस्ताार से बताया। उन्होंने उच्च कृषि शिक्षा के लिए नीति के संबंध में समिति की सिफारिशों के बारे में संक्षेप में बताया जिसने केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के लिए उनके अभिशासन, शैक्षणिक कार्यक्रम, प्रशासन तथा संकाय की भर्ती के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जाने की सिफारिश की थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित विधेयक 2012 की जांच करते समय संसदीय स्थायी समिति ने देश में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए एक नीतिगत कार्यढांचा विकसित किए जाने की इच्छा व्यक्त की थी।

समिति के अध्यक्ष डॉ. पंजाब सिंह ने सदस्यों का स्वागत किया और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और कार्यढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनकी यह राय थी कि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय और क्षेत्र के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के बीच संयोजन होना चाहिए जिसमें कृषि प्रौद्योगिकी विकास की मूल और कार्यनीतिक अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को पथ प्रदर्शन करना चाहिए और राज्य कृषि विश्वविद्यालय व्यापक तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहनपरक प्रयासों सहित प्रौद्योगिकियों के परिष्करण, क्षेत्र परीक्षण और प्रदर्शन के लिए प्रगतिशील सहलग्नता पद्धति में आगे प्रयास कर सकते

हैं। उन्होंने विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जाने से पूर्व सदस्यों को इस समिति के कार्यकरण, समयावधि और इस समिति द्वारा विचार किए जाने वाले पहलुओं के बारे में कार्य-रीतियों के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया।

डॉ. एस. एल. मेहता, सदस्य ने केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने में भाकृअप के प्रयासों की सराहना की। उनकी यह राय थी कि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना किए जाने से राज्यों पर उनके अपने संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन करने और सुधार करने हेतु दबाव पड़ेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के भावी विकास के लिए एक खाका (ब्लूप्रिंट) तैयार किए जाने से पूर्व स्थान, संकाय, अभिशासन, भूमि आकार, कनेक्टिविटी आदि पहलुओं पर गहराई से विचार किए जाने की आवश्यकता है उनकी यह राय थी कि संबंधित क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के लिए एक केन्द्राक (न्यूक्लिअस) और उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में कार्य करने हेतु केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को आरंभ में देश के अलग-अलग क्षेत्रों में नए सिरे से स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने सुझाव दिया कि कुछेक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम संस्थानों, यूजीसी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक परामर्शदायी बैठक आयोजित की जाए ताकि अभिशासन, संकाय की भर्ती, शैक्षणिक कार्यक्रम और वित्तीय प्रबंधन के संबंध में उनके विचार प्राप्त किए जा सकें।

डॉ. डब्ल्यू कि . एस. लाकड़ा, सीआईएफई, मुम्बई तथा विशेष आमंत्रिती ने देश में विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सामने आ रही संकाय की सतत कमी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों के साथ वैश्विक सहलग्नता स्थापित करने और शैक्षणिक कार्यक्रम और अनुसंधान में मूल विज्ञान संघटक को बढ़ावा देने की पूर्ण शैक्षणिक स्वतंत्रता होनी चाहिए।

डॉ. ए. के. सिंह, कुलपति, आरएसकेवीवी, ग्वालियर ने गुणवत्तापूर्ण संकाय की भर्ती में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में देश के किसी भी भाग के छात्रों को प्रवेश मिलना चाहिए।

डॉ. एस. एन. पुरी, कुलपति, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल ने अवसंरचना, क्षेत्राधिकार, संकाय भर्ती, सहलग्नता आदि के अलावा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए स्थान के चयन के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश तैयार करने का सुझाव दिया। उनका यह विचार था कि जहां तक संभव हो सके केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को बहुसंकाय युक्त होना चाहिए और कैम्पस एकीकृत होना चाहिए। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण हेतु उत्कृष्ट व्यावसायिकों से आवेदन आमंत्रित करके 10% संकाय पदों को भरने के लिए आकर्षित पैकेज प्रदान करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कृषि शिक्षा के संबंध में संविधान के विभिन्न उपबंधों की सामान्य रूप में और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में विशेष रूप से जांच हेतु विधिक परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए।

डॉ. के. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी) तथा सदस्य सचिव ने समिति से भविष्य के लिए कार्यढांचे और कार्रवाई के स्वरूप को इस तरह से सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि आवश्यक विचार-विमर्श के पश्चात रिपोर्ट यथा शीघ्र प्रस्तुत की जा सके। यह भी महसूस किया गया कि समिति इस प्रयोजन के लिए छोटे कार्यशील उपसमूह गठित करने के लिए भी विचार कर सकती है।

अभिशासन, संकाय भर्ती, शैक्षणिक कार्यक्रम और वित्तीय प्रबंधन के संबंध में कुछेक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचार

प्राप्त करने हेतु उनके प्रतिनिधियों के साथ परामर्शक बैठक अधिमानत: अगस्त, 2013 के माह में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।

अध्यक्ष महोदय, सदस्यों और विशेष आमंत्रिती के प्रति धन्यवाद प्रस्तारव के साथ बैठक समाप्त हो गई।

अनुबंध V

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

शिक्षा प्रभाग, कृषि अनुसंधान भवन

नई दिल्ली-110012

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु 04 अक्तूबर, 2013 को सम्मेलन हॉल, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान काम्पलैक्स, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली-110012 में प्रातः 10.30 बजे आयोजित हुई समिति की बैठक में हुए परामर्शक विचार-विमर्श की कार्यवाही

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने के संबंध में समिति के परामर्शक विचार-विमर्श हेतु बैठक डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, भाकृअप की अध्यक्षता में 04 अक्तूबर, 2013 को आयोजित हुई थी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1.	डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, भाकृअप	अध्यक्ष
2.	डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, निदेशक, एनडीआरआई, करनाल	सदस्य
3.	डॉ. एस. एन. पुरी, कुलपति, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	सदस्य
4.	डॉ. ए. के. सिंह, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर	सदस्य
5.	डॉ. एस. एल. मेहता, पूर्व कुलपति, एमपीयूएएंडटी, उदयपुर	सदस्य
6.	डॉ. सुरेश होनाप्पागोल, एडीजी (ईक्यूआर), नई दिल्ली	सदस्य
7.	डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी) प्रभारी	सदस्य सचिव

डॉ. अरविन्द कुमार, उप-महानिदेशक (शिक्षा) उनके पूर्व निश्चित कार्यक्रम के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके। उन आमंत्रितियों, जिन्होंने विचार-विमर्श में भाग लिया, की सूची अनुबंध-क में दी गई है।

बैठक के प्रारंभ में डॉ. कुसुमाकर शर्मा, एडीजी (एचआरडी) एवं सदस्य सचिव ने इस परामर्शक विचार-विमर्श में उपस्थित होने पर समिति के सदस्यों और विशेष आमंत्रितियों का स्वागत किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण समिति के गठन की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बताया और प्रस्तावित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों (सीएयू) के अभिशासन, शैक्षणिक कार्यक्रम, प्रशासन और संकाय भर्ती के संबंध में अपनी टिप्पणियां/ सुझाव देने के लिए अनुरोध किया।

डॉ. पंजाब सिंह, समिति के अध्यक्ष ने भी सदस्यों और विशेष आमंत्रितियों का स्वागत किया। उन्होंने आगे दिशा-निर्देश तैयार करने से पूर्व आईआईटी, आईआईएम, यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निम्नलिखित के संबंध में विचार जानने के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ परामर्शक बैठक किए जाने की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया :-

1. वे उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना है।
2. विश्वविद्यालय की शक्तियां;
3. प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र
4. शैक्षणिक कार्यक्रम, अधिकार और उत्तरदायित्व

5. विश्वविद्यालय स्वायत्तता : शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय
6. अभिशासन संरचना
7. परिवेश और अवसंरचना
8. स्थापना की पद्धति
9. संकाय की भर्ती
10. प्रतिस्पर्धा के लिए आईआईटी, आईआईएम और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेष्ठ पद्धतियां
11. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग – संकाय आदान-प्रदान, छात्र आदान-प्रदान, संसाधन हिस्सेदारी, क्रेडिट अंतरण, संयुक्त सुविधाएं आदि
12. कर्मचारियों की सेवा शर्तें
13. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिया जाने वाला अनुदान
14. कुशल कार्यकरण के लिए तथा अध्ययन तथा छात्रवृति के लिए सहायक शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कोई अन्य उपाय

अध्यक्ष महोदय ने प्रत्येक आमंत्रिती से एक-एक करके सुझाव/टिप्पणियां देने के लिए अनुरोध किया।

डॉ. बी. के. कंवर, कुलपति, नागालैंड विश्वविद्यालय, नागालैंड ने केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए भाकृअप द्वारा आरंभ की गई पहल की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए उत्कृष्ट आधारिक सुविधाओं अर्थात जल, विद्युत, स्वास्थ्य, परिवहन, कनेक्टिविटी, स्कूल आदि से युक्त स्थानों का चयन किया जाए। शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यकलापों में विश्वविद्यालय को स्वायत्तता होनी चाहिए। विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार इसमें सतत रूप में सुधार संवर्धन की दृष्टि से पारिस्थितिकी प्रणाली के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हो सकता है। विश्वविद्यालय को छात्रों को स्वरोजगार और उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करने की शक्ति भी प्रदान की जानी चाहिए। शैक्षिक कार्यक्रमों में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने पर जोर दिया जाना चाहिए और समय-समय पर कृषि के लिए संगत सीमांत विज्ञानों के विकास को महत्व दिया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाना चाहिए और कोई भी ख्यातिप्राप्त कृषि वैज्ञानिक कुलाधिपति होना चाहिए। कार्यपालक परिषद या प्रबंध मंडल (बीओएम) शैक्षिक परिषद, वित्तक समिति, अनुसंधान परिषद, विस्तार परिषद, योजना बोर्ड तथा भवन समिति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्राधिकरण सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भूमिका अधिकारिक विनियामक न होकर सहायक विनियामक की होनी चाहिए। अवसंरचना को भौगोलिक स्थिति, सामाजिक मूल्यों और आकांक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए सुनियोजित और विनिर्मित किया जाना होगा ताकि इससे समग्र देश में शैक्षिक वातावरण का विस्तार हो सके। सभी शैक्षिक, अनुसंधान, विस्तार और प्रशासनिक पदों को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार भरा जाना चाहिए। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को न्यूनतम संख्यान में संकाय के कुछ अतिरिक्ति पदों, सहायक संकाय, अभ्यासगत प्रोफेसर और अतिथि संकाय आदि के साथ सृजित किया जाना चाहिए। सभी नियुक्तियां पांच वर्षों की अनुबंध अवधि के लिए की जानी चाहिए जिन्हें कार्य निष्पादन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। पांच वर्षों की समीक्षा के बाद कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु तक के लिए स्थायी किया जा सकता है। वास्तविक अनुमानों/बजट अनुमान के आधार पर सभी वार्षिक व्यय को पूरा करने के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना और गैर-योजना के अंतर्गत ब्लाक अनुदान का प्रावधान किया जाए। छात्रों को प्रवेश देने के मामले

में किसानों के बच्चों को कुछ तरजीह दी जाए। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र, मेघालय के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान काम्पालैक्स को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाए।

प्रोफेसर एस.एम. इश्तियाक, टैक्स्टाइल प्रौद्योगिकी विभाग, आईआईटी, दिल्ली, जिन्होंने निदेशक, आईआईटी दिल्ली के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई पहल की सराहना की और आमंत्रण के लिए शिक्षा प्रभाग का आभार प्रकट किया। उन्होंने इस बारे में अंतर्निरीक्षण करने की आवश्यकता पर बल दिया कि कृषि के देश का आधार होने के बावजूद भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी कृषि में अपनी जीविका वृत्ति क्यों नहीं चुनते हैं। इसी प्रकार उनकी राय यह थी कि राज्य कृषि विश्वाविद्यालय और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय बेहतर कार्य नहीं कर रहे हैं जबकि समान परिस्थितियों/ बाधाओं के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) काफी अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने प्रस्तावित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में संकाय के लिए बेहतर निर्धारित, जवाबदेह और पारदर्शी प्रणाली तैयार किए जाने का सुझाव दिया। उनका यह विचार था कि प्रत्येक संकाय सदस्य का विश्वविद्यालय के समग्र अधिदेश/ कार्य ढांचे के भीतर निष्पादन की स्वतंत्रता के साथ अपनी अनुसंधान/ शैक्षिक कार्यसूची होनी चाहिए। पदोन्नतियां खुले चयन द्वारा की जानी चाहिएं और मौजूदा करियर एडवांसमेन्ट स्कीम के पैटर्न पर कोई समयबद्ध पदोन्नति नहीं की जानी चाहिए। प्रतिभाशाली और अभिप्रेरित विद्यार्थियों को आकर्षित करने हेतु बहुत से प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शैक्षिक संस्थानों में संकाय के अलावा अन्य कर्मचारी भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अत: कुशल कर्मचारियों के उचित चयन के लिए नीतियां भी प्रस्तुत की जाएं। प्राधिकारणों को आवधिक तौर पर समीक्षा करने के एक कार्य ढांचे के साथ पूर्ण स्वायत्तता दी जाए। शिक्षण और अनुसंधान पर समानांतर रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि अनुसंधान से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। पाठ्यचर्या में स्पष्टता होनी चाहिए और शिक्षण कक्ष में अध्ययन पर फोकस किए जाने की बजाए स्व-अध्ययन की संकल्पुना को भी लागू किया जाना चाहिए।

प्रोफेसर पी.बी.एस. भादौरिया, अध्यक्ष, कृषि एवं खाद्य अभियांत्रिकी विभाग, आईआईटी, खड़गपुर, जिन्होंने निदेशक, आईआईटी, खड़गपुर के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, ने आगे यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश राष्ट्र स्तरीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर होना चाहिए और फीड-बैक प्रणाली लागू की जानी चाहिए। उन्होंने अफसरशाही प्रणाली और संकाय की भर्ती तथा छात्रों को प्रवेश में परिवारवाद (इनब्रीडिंग) को समाप्त करने के अलावा विश्वविद्यालय को वित्तीय, प्रशासनिक और शैक्षिक स्वायत्तता देने पर भी बल दिया।

प्रो. एस.एस. मूर्ति, कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक ने केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट संस्थानों की उत्तम प्रक्रियाओं का अनुकरण करके उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और उन्हें उसी स्तर के साधन मुहैया कराए जाने चाहिएं। विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श वाक्य शिक्षा और अवसंरचना की गुणवत्ता और उत्कृष्टता होंगे। उत्कृष्ट प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए संकाय पदों की कुल सुनिश्चित संख्या के भीतर विश्वविद्यालय के संवर्ग को लचीला बनाने की अनुमति होनी चाहिए। संकाय की अभीष्ट संख्या छात्रों की संख्या के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए और संवर्ग का संकायवार वितरण विश्वविद्यालय के प्रशासन पर छोड़ दिया जाना चाहिए। आदर्श छात्र संकाय अनुपात 10:1 निश्चित किया जाना चाहिए जिसमें नियमित अथवा

अनियमित संकाय अपेक्षानुसार शामिल किए जा सकते हैं। आरक्षित श्रेणी विषयवार सुनिश्चित न करके विश्वविद्यालय में कुल संकाय की संख्या के आधार पर होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में अनियमित संकाय का भी संवर्ग होना चाहिए। अनुबद्ध/अभ्योगत/मानद/अतिथि/सावधिक संकाय को आमंत्रित करने हेतु उदार उपबंध बनाए जाने चाहिएं। विश्वद्यालयों द्वारा किए गए कार्यों (आउटपुट) की वैश्विक सर्वोत्तम आउटपुट के साथ तुलना की जानी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों को शैक्षिक और वित्तीय स्वायत्तता देने के सुझाव का भी समर्थन किया जिसकी आवधिक आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने इन विश्वविद्यालयों को ऐसे स्थानों पर स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया जो सुगम्य हों और अच्छी कनेक्टिविटी हो। उनकी राय में प्रारंभ में पूर्वोत्तर क्षेत्र, शुष्क क्षेत्रों जैसे उपेक्षित रहे। पांच क्षेत्रों में पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिएं ताकि ऐसे क्षेत्र भी विकसित हो सकें। उन्होंने तकनीकी रूप से कुशल तकनीशियनों की भर्ती पर भी जोर दिया जिन्हें संकाय में नियुक्त किया जा सकता है। तकनीशियनों का अनुपात 1:2 हो सकता है। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशासन के लिए सांविधिक निकायों, शैक्षिक परिषदों जैसी उचित प्रशासनिक संरचनाएं स्थापित की जानी चाहिएं। शिक्षण और अनुसंधान को आपस में जोड़ा जाना चाहिए और अधिकांशत: शिक्षण अनुसंधान उन्मुखी होना चाहिए और अनुसंधान को प्रथम वर्ष से ही प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देश तैयार करते समय दोहरी डिग्री और एकीकृत कार्यक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सलग्नंता के साथ समुचित नेटवर्किंग, कैम्पस के भीतर उपयुक्त स्कूल आदि को ध्यान में रखा जाए। विश्वविद्यालयों की योजना इस तरह से तैयार की जाए कि ये शिक्षा के क्षेत्र यदि कोई भी हों, ये उत्कृष्ट संकाय और श्रेष्ठ छात्रों को आकर्षित करें। एक बार ही एकमुश्त अनुदान स्वीकृत किया जाए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा को विश्व के सर्वोत्तम अनुसंधान और शिक्षा के तुलनीय बनाया जाए। उन्होंने यह भी महसूस किया कि स्वायत्तता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु स्वायत्तता और विनियम एक साथ नहीं चल सकते हैं। अधिक विनियम होने का अर्थ कम स्वायत्तता होना है। विश्वविद्यालयों को आईआईटी और आईआईएम की भांति अधिक स्वायत्तता और कम विनियम होने चाहिएं। शैक्षिक स्वायत्तता सम्पूर्ण होनी चाहिए और इस तरह से कार्यान्वित की जानी चाहिए कि स्वायत्तता और जवाबदेही एक साथ निष्पादित हो। उन्होंने मौजूदा करियर एडवान्समेंट स्कीम (सीएएस) को समाप्त करने और इसके स्थान पर एक ऐसी प्रणाली लागू करने का समर्थन किया जिसके तहत पदोन्नति योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जाए।

डॉ. एस.एन. पुरी, कुलपति, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल और समिति के सदस्य ने यह महसूस किया कि अधिदेशित क्रियाकलापों के कार्यान्वयन में कोई अफसरशाही अवरोध और वित्तीय बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों को अधिक लोचकता प्रदान करते हुए संकाय की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की संकल्पना का समर्थन किया। उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि उत्कृष्ट सेवानिवृत्त व्यावसायिकों की प्रतिभा और कौशल का लाभ उठाने के लिए यूजीसी की पुनर्नियोजन योजना भी आरंभ की जानी चाहिए। उनके विचार में जहां तक संभव हो केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को बहुसंकाय युक्त होना चाहिए और इनका एकीकृत कैम्पस होना चाहिए। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के संकाय और उत्कृष्ट व्यावसायिकों को आकर्षक पैकेज प्रदान करने की स्वायत्तता होनी चाहिए ताकि वे विश्वविद्यालयों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

डॉ. एच.एस. गुप्ता, निदेशक, आईएआरआई, नई दिल्ली ने भाकृअप के मानद विश्वविद्यालयों की क्षमताओं के बारे में बताया जो आईआईटी, आईआईएम आदि जैसे विश्व श्रेणी के संस्थानों के तुलनीय हैं तथापि इनके संसाधनों का कम उपयोग किया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि भाकृअप

के मानद विश्वविद्यालयों को प्रस्तावित स्वायत्तता के साथ केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के रूप में परिवर्तित किया जाए ताकि मानद विश्वविद्यालयों की मूल अब संरचना और संसाधनों का कारगर उपयोग किया जा सके। उन्होंने आगे यह राय दी कि मौजूदा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय कृषि विश्विद्यालयों में परिवर्तित करने के बजाए केन्द्रीय कृषि विश्वद्यालयों को नए सिरे से आरंभ किया जाए। उनका यह विचार था कि नए विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए स्थानों का चयन करते समय ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो हरित क्रांति से लाभान्वित नहीं हुए हैं। उन्होंने आगे यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों को पहले स्नातकोत्तर/ पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के साथ आरंभ किया जाए तथा बाद में स्नातक पूर्व (यूजी) कार्यक्रम को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने सी.ए.एस. प्रणाली को छोड़ने से और पदोन्नति के लिए केवल योग्यता को मानदंड को लागू करने के विचार का भी समर्थन किया। उन्होंने प्रस्ताव किया कि संकाय में आधे सदस्यों को स्थायी आधार पर भर्ती किया जाए और शेष को पांच वर्षों के मूल्यांकन की व्यवस्था के साथ पांच वर्षों की अवधि के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाए। अप्रवासी भारतीयों को आमंत्रित करने की व्यवस्था भी शामिल की जाए। उन्होंने विश्वविद्यालयों के स्वायत्तता देने और प्रारंभिक अनुदानों के उपयोग हेतु व्यय करने में लोचकता प्रदान करने का समर्थन किया। उनके विचार में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ लिंकेज के साथ कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने चाहिएं। उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि शिक्षा और अनुसंधान, संकाय के आदान-प्रदान और छात्र आदान-प्रदान आदि में गुणवत्ता और उत्कर्ष का विश्लेषण करने हेतु अंतराष्ट्रीय लिंकेज होना चाहिए।

डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक, एनडीआरआई, करनाल ने इस विचार से सहमति प्रकट की कि भाकृअप के मानद विश्वविद्यालयों के पास उपलब्ध संसाधनों का कम उपयोग किया गया है विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन के लिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि प्रारंभ में भाकृअप के मानद विश्वविद्यालयों को विषयपरक (थिमेटिक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया जाए। उन्होंने इस विचार का भी समर्थन किया कि देश के लाभ वंचित रहे उन क्षेत्रों, जो कृषि उत्पादन के लिए अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर सके हैं, को नए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु चुना जाए। तथापि, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल उन स्थानों को ही प्राथमिकता दी जाए जो बेहतर संपर्कता (कनेक्टिविटी) रखते हों। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना विवेकपूर्ण नहीं होगा जो सांस्कृतिक तथा अन्य सम्बद्ध समस्याओं के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए एक जिम्मेवारी ही होंगे। इसके अलावा, उनका यह विचार था कि विश्वविद्यालय को तीन डिग्री कार्यक्रम, अर्थात स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर और पीएच. डी. के साथ शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपनाए गए यूजीसी के सभी मानदंडों के अंतर्गत कृषि में उच्च शिक्षा मुहैया कराने और उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि करने हेतु स्थापित किया जाए। तदनुसार जब तक भाकृअप यूजीसी के मानदंडों को अपनाना छोड़ नहीं देती है तब तक आईआईटी आदि के पैटर्न पर मानदंड और विनियम तैयार करना/निर्धारित करना कठिन होगा। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नए सृजित किए गए विश्वविद्यालयों में कोई करियर एडवान्समेंट स्कीम नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय कृषि प्रणाली की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार के लिए आईआईटी/आईआईएम द्वारा अपनाए गए अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना चाहिए। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के लिए वास्तविक स्वायत्तता, कम विनियम होने चाहिएं और कोई अवांछनीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उनके विचार में जब तक प्रस्तावित विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार/कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा विनियमित नहीं होते हैं तब तक कर्मचारियों की सेवा-

शर्तें परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने संगठन को स्वतंत्रता के साथ ब्लाक अनुदान देने और उपयुक्तता के अनुसार इसे उपयोग करने के बारे में बैठक में किए गए विचार-विमर्श का समर्थन किया।

डा. अखिलेश गुप्ता, सचिव, यूजीसी, नई दिल्ली ने विचार विमर्श के लिए उनके विचार प्राप्त करने के लिए समिति को धन्यवाद दिया और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करने हेतु भा.कृ.अ.प. की भूमिका की सराहना की। उन्होंने केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की संकल्पना का समर्थन किया। उन्होंने ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों, जहां पर केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की आवश्यकता अधिक है, पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु उनका पता लगाने पर बल दिया। उन्होंने इस विचार का भी समर्थन किया कि मौजूदा राज्य, कृषि विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि उनका यह विचार था कि मानद विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना एक अच्छा विचार है क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मानद विश्वविद्यालय कुछ विषयपरक (थिमेटिक) संकल्पना रखते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि मानद विश्वविद्यालयों के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित नहीं किया जाता है तो नए स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को संकल्पना को सफल बनाने के लिए कुछ विषयपरक फोकस रखना चाहिए अन्यथा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए कुछ प्रौद्योगिकी आधारित फोकस होना चाहिए। उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि इन्हें आवधिक समीक्षा के लिए कुछ क्रियाविधि के साथ स्वायत्तता तो होनी चाहिए परन्तु स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि कुछ कमियां होने के बावजूद भी मौजूदा करियर एडवान्सामेंट स्कीम प्रणाली ने अच्छा कार्य किया है और इसे और उद्देश्यपरक बनाने हेतु करियर एडवान्सरमेंट स्कीम (सीएसी)और एपीआई प्रणाली में किए जाने वाले आसन्न संशोधनों के बारे में बताया। उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया कि स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के बाद स्नातक-पूर्व कार्यक्रम आरंभ करना विवेकपूर्ण होगा चूंकि नए स्थापित विश्वविद्यालयों में प्रारंभ में आवश्यकता को पूरा करने हेतू पर्याप्त असंरचना नहीं होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण उसी पैटर्न पर किया जाना चाहिए जिसे 12वीं योजना में यूजीसी/ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपनाया जा रहा है। उन्होंने सूचित किया यूजीसी ने बिल्डिंग निर्माण पर अल्प-अवरोध लगाते हुए ब्लाक अनुदान/ वित्तपोषण व्यवस्था आरंभ की है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि बिल्डिंग प्रयोजन के लिए 60 प्रतिशत से अधिक निधियों का उपयोग नहीं किया जाएगा और शेष निधियों के व्यय हेतु पूर्ण स्वतंत्रता है। उन्होंने सुझाव दिया कि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को स्थापित किए जाने से पूर्व व्यय वित्त समिति, मंत्रिमंडल के लिए नोट, विधेयक तैयार किए जाने की आवश्यकता है और संसद द्वारा पारित किए जाने की आवश्यकता है। उनके अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रारंभिक आवंटन 500 करोड़ रुपये के लगभग किए जाने की आवश्यकता है और भूमि का आकार 1000 एकड़ के लगभग होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत में संस्थान और विदेशी किसी संस्थान के बीच यूजीसी के 'दोहरी व्यवस्था' (टिविनिंग एरैजमेन्टस) नामक विनियम को अपनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि भारत में अन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के कैम्पस स्थापित करने के संबंध में यूजीसी के नियमों को अपनाना, जिन्हें यूजीसी द्वारा शीघ्र ही जारी किया जाएगा, एक महत्वपूर्ण विचार हो सकता है। उन्होंने विश्वविद्यालय कैम्पस के भीतर केन्द्रीय स्कूल स्थापित किए जाने के विचार की भी सराहना की। बीएड और एमएड के लिए शैक्षिक स्कूल खोलने को भी शामिल किया जाए। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रस्तावित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और यूजीसी की

सक्रिया के लिए जोर दिया। उन्होंने भा.कृ.अ.प. अथवा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से संकाय नि:शुल्क उपलब्ध होने, स्नातकोत्तर और पीएच. डी पाठ्यक्रमों आदि के लिए अध्येतावृत्ति की व्यवस्था करने का भी समर्थन किया। उनका यह विचार था कि नए स्थापित किए गए विश्वविद्यालय बहुसंकाय युक्त होने चाहिएं।

डा. ए.के. सिंह, कुलपति, आरएसकेकेवी, ग्वालियर ने प्रस्ताव किया कि कृषि को राज्य का विषय मानते हुए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को ऐसे उद्देश्यों के साथ स्थापित किया जाए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि संविधान की मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत ये विश्वविद्यालय स्वतंत्र रूप से कार्य करें। उन्होंने सुझाव दिया कि उन क्षेत्रों, जिनमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय नहीं हैं और कमजोर राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु तरजीह दी जाए चूंकि इन क्षेत्रों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। उनका यह विचार था कि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को श्रेष्ठ संस्थानों की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाते हुए स्थापित किया जाए ताकि ये विश्वविद्यालय नवोन्मेष और उत्कृष्टता के उदाहरण बन सकें और दीर्घकाल में इनकी श्रेष्ठ संस्थानों के साथ तुलना की जा सके। उनका यह भी विचार था कि जबावदेही के साथ स्वायत्तता और पारदर्शिता लागू की जाए। उन्होंने केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को यूजीसी कार्यक्रम के साथ आरंभ करने का समर्थन किया क्योंकि यदि प्रणाली के लिए उपयुक्त पर्याप्त मात्रा में प्रतिभवान पूर्व स्नातक उपलब्ध नहीं हैं तो पीजी/ पीएच.डी. कार्यक्रम की गुणवत्ता निर्धारित लक्ष्य तक प्राप्त नहीं होगी। उन्होंने प्रस्ताव किया कि सभी केन्द्रीय कृषि विद्यालयों में प्रवेश के लिए सभी कार्यक्रमों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए। उनका यह विचार था कि किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना कुलपतियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए जो कि इन विश्वविद्यालयों के उचित कार्यकरण के लिए एक गत्यवरोध है। उत्कृष्ट्र प्रतिभा को आकर्षित करने हेतु पीजी और पीएच.डी. कार्यक्रमों के लिए अध्येतावृत्तियों की व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि क्षमता निर्माण के लिए भाकृअप तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से संकाय निशुल्क उपलब्ध हों। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय का स्वरूप बहुसंकाय होना चाहिए जिसमें कम से कम एक मूल वैज्ञानिक कॉलेज और आधुनिक आईसीटी उपकरणों के लिए कम से कम एक कॉलेज हो।

डा. डी. रामा राव, एनडी, एनएआईपी का यह विचार था कि इन नए सृजित विश्वविद्यालयों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए ताकि इनकी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से तुलना की जा सके। उनके विचार में इन विश्वविद्यालयों को स्थापित करने हेतु स्थानों पर निर्णय लेना इस समय सारहीन हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस समय इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि कॉरनेल किस्म के विश्वविद्यालय किस स्तर पर हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रारंभ में उसी आधार पर केवल 3-4 विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए और इन विश्वविद्यालयों को अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के समतुल्य बनाये जाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिएं। भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के भीतर इन विश्वविद्यालयों के समन्वय हेतु प्रस्तावित क्रियाविधि पर विशेष ध्यान भी दिया जाना चाहिए।

डॉ होन्नापागोला, सहायक महानिदेशक (ईक्येूआर), भाकृअप, नई दिल्ली का यह विचार था कि इन विश्वविद्यालयों के विषयपरक उद्देश्यों में व्यापक एप्रोच शामिल की जाए। इन्होंने वर्तमान राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के विचार पर असहमति प्रकट की। इन्होंने सुझाव दिया कि इन विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में तैयार किया जाए। इनका विचार था कि यदि ध्यान न दिए गए क्षेत्रों को वरीयता दी जाती है तो स्थानिक संभार-तंत्र पर ध्यान दिया जाए। इन्होंने एकीकृत डिग्री कार्यक्रम की संभावना पर काम करने का सुझाव दिया।

इन्होंने स्वायत तथा पारदर्शी प्रणाली का समर्थन किया। इन्होंने उचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए लचीले अभिशासन पर जोर दिया। इन्होंने संकाय तथा छात्रों के प्रवेश के लिए क्रमश: केन्द्रीकृत भर्ती तथा परीक्षा प्रणाली पर जोर दिया। इनका विचार था कि इन विश्वविद्यालयों की सुस्पष्टता के लिए साझेदारी को अनिवार्य बनाया जाए। इनके अनुसार इन केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के कार्मिकों की सेवा शर्तों में प्रगामी आकलन प्रक्रिया के साथ परियोजना आधारित वेतन पैकेज को शामिल किया जाए।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति के विचारार्थ निम्निलिखित मुद्दे सामने आए:

1. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की मान्यता का उद्देश्य भारतीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को वैश्विक स्तर के अनुकूल रखा जाए।
2. **विश्वविद्यालय की शक्तियां:** प्रायोगिक स्वायित्तदता की समय-समय पर समीक्षा की जाए।
3. विश्वविद्यालय के फार्म क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र के साथ-साथ परिस्थिकीय प्रणाली के नियमित सुधार को शामिल किया जाए।
4. **शैक्षणिक कार्यक्रम, अधिकार और जिम्मेवारियां:** विश्वविद्यालय बहु-संकाय वाले होने चाहिए तथा पहले पीजी/पीएचडी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं और बाद में यूजी कार्यक्रम चलाए जाएं। शैक्षणिक कार्यक्रम में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने तथा कृषि विज्ञान के प्रासंगिक क्षेत्रों में विकास के महत्व पर जोर दिया जाए।
5. **विश्वविद्यालय स्वायत्ता: शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय:** विश्वविद्यालय को आईआईटी/आईआईएम के समान समय-समय पर समीक्षा की प्रक्रिया के साथ पूर्ण स्वायत्तता दी जाए। शैक्षणिक स्वायत्तता दी जाए तथा इसे स्वायत्तवता तथा जिम्मेवारी के साथ-साथ कार्यान्वित किया जाए।
6. **अभिशासन ढांचा:** भारत के महामहिम राष्ट्रपति को विश्वविद्यालय के आगंतुक के रूप में तथा प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक को कुलपति के रूप में निर्दिष्ट किया जाए। विश्वविद्यालय के प्राधिकरण में कार्यकारी परिषद या बीओएम, शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति, अनुसंधान परिषद, विस्तार परिषद, योजना बोर्ड और भवन समिति शामिल होंगे।
7. **वातावरण तथा बुनियादी ढांचा:** सुनियोजित भौगोलिक स्थिति, सामाजिक मूल्यों तथा आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे का सुनियोजित रूप में निर्माण किया जाए।
8. **स्थापना की विधि:** राष्ट्रीय महत्वं के संस्थान के रूप में संसद के अधिनियम द्वारा।
9. **संकाय भर्ती:**
    - संकाय भर्ती तथा पदोन्ननति को अखिल भारतीय स्तषर पर स्वतंत्र चयन द्वारा किया जाएगा।
    - छात्रों की कुल संख्या के आधार पर संकाय की उचित संख्याव निर्धारित की जाएगी।
    - अनुकूल छात्र संकाय अनुपात 10:1 निर्धारित किया जाए इसमें लचीलेपन के साथ स्थाई या अस्थाई संकाय को शामिल किया जा सकता है।
    - उत्कृष्ट प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए संकाय के कुल पदों की संख्या के तहत विश्वविद्यालय के संवर्ग में लचीलेपन की अनुमति दी जाए।
    - आरक्षण का निर्धारण विषय-वार करने के स्थान पर विश्वविद्यालय में संकाय की कुल संख्या के तहत किया जाए।

- विश्वविद्यालय में अस्थाई संकाय का संवर्ग भी होना चाहिए।
- संकाय के आधे पदों पर स्थाई भर्ती की जाए तथा शेष पदों को पंचवर्षीय मूल्यांमकन के प्रावधान के तहत पांच वर्ष की अवधि के लिए सावधिक आधार पर रखा जाए।
- प्रवासी भारतीयों को आमंत्रित करने का प्रावधान रखा जाए।

10. **प्रतिस्पर्धा के लिए आईआईटी, आईआईएम तथा सीयू की बेहतर प्रक्रियाएं:** केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को विश्व स्तर के संस्थानों के अनुरूप बेहतर गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता की बेहतर प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धी संस्थान के रूप में विकसित किया जाए और इसे इन सभी संस्थानों के समान स्तर पर रखा जाए।
11. **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नैटवर्किंग:** संकाय आदान-प्रदान, छात्र आदान-प्रदान, संसाधन आदान-प्रदान, ऋण अंतरण, संयुक्त सुविधाएं आदि: शिक्षा और अनुसंधान, संकाय तथा छात्र आदान-प्रदान, संसाधन आदान-प्रदान, ऋण अंतरण, संयुक्त सुविधाएं आदि में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टा विश्लेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थापित किए जाएं।
12. **कार्मिकों की सेवा शर्तें:** कार्मिकों की सेवा शर्तें केन्द्रीय सरकार/डेयर द्वारा संचालित की जाएंगी इसके साथ ही आईआईटी, आईआईएम की प्रक्रिया को इसमें समेकित किया जाएगा। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को परियोजना आधारित वेतन पैकेज में प्रगामी आकलन प्रक्रिया के साथ शामिल किया जाए।
13. **केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाए:** केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को ब्लाक अनुदान दिया जाए इसमें इन्हें राशि उपयोग की स्वतंत्रता भी दी जाए। एक विश्वविद्यालय के लिए आरंभ में लगभग रु. 500 करोड़ का आवंटन किया जाए और लगभग 1000 एकड़ भूमि होनी चाहिए।
14. कुशल कार्यकलाप के लिए **अन्य उपाय** तथा शैक्षणिक परिवेश संबंधी अध्ययन तथा छात्रवृत्ति के प्रति अनुकूलता को प्रोत्सानहित करना:
    - नए सीएयू स्थारपित किए जाएं तथा मौजूदा एसएयू को परिवर्तित न किया जाए।
    - मौजूदा मानद विश्वविद्यालयों को उचित परिवर्तन के साथ इनकी पात्रता पर विचार करते हुए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में विचार किया जा सकता है।
    - वर्तमान कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) को बंद किया जाए तथा इसके स्थान पर मैरिट और उपलब्धियों के आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा पदोन्नति प्रणाली को अपनाया जाए।
    - विश्वविद्यालय में बहुविषयक स्वतरूप का संकाय तथा कम से कम एक महाविद्यालय मूल विज्ञान का और एक आधुनिक आईसीटी विज्ञान का होना चाहिए।
    - दिशानिर्देश बनाते समय रोहरी डिग्री तथा समेकित कार्यक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के साथ बेहतर नैटवर्किंग, परिसर के अंदर बेहतर विद्यालय आदि पर विचार किया जाए। बी.एड तथा एम.एड के लिए शैक्षणिक विद्यालय प्रारंभ किया जाए।
    - संकाय भर्ती के लिए विज्ञापन देने की अवधारणा अपनाई जाए इससे विश्वविद्यालय को लचीलापन अपनाने में मदद मिलेगी।
    - नए सीएयू में 50 प्रतिशत मुख्य संकाय तथा 50 प्रतिशत सावधिक संकाय 5 वर्ष के लिए 5 वर्षीय मूल्यांकन के आधार पर अवधि बढ़ाने के प्रावधान के तहत रखा जाए।

- सीएयू में बहु-विषयक संकाय के साथ-साथ समुदाय महाविद्यालय संकल्पना, समेकित पाठ्यक्रम होना चाहिए; यूजीसी के साथ निकटतम संपर्क रखा जाए।
- सीएयू के लिए संचालन भाग, अभिशासन, स्थान आदि के लिए डीपीआर तैयार किया जाए तथा इसके बाद बाहरी दल से टिप्पणियां प्राप्त की जाए।
- अनुबद्ध/विजटिंग/अतिथि/एमीरेट्स संकाय के लचीले प्रावधान किए जाएं।
- बेहतर तकनीकी कुशल सहायक कार्मिक/तकनीकी सहायक की भर्ती पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।
- संस्थानों तथा हितधारकों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच नैटवर्किंग के लिए सीएयू को स्वायत्तता का प्रावधान किया जाए।

डॉ. पंजाब सिंह, अध्यक्ष द्वारा बैठक समाप्त करते हुए सभी समिति सदस्यों तथा आगंतुकों को इसमें भाग लेने तथा मूल्यावान योगदान के लिए धन्यवाद दिया गया। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि भाकृअप तथा कुछ चयनित संस्थानों अर्थात एमएचआरडी/ यूजीसी तथा कृषि संस्थानों के साथ आधे दिन का एक विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किया जाए। इन्होंने समिति के सदस्यों से अनुरोध किया कि इस केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के दिशानिर्देश तैयार करते समय परामर्श एवं विचार-विमर्श के दौरान दिए गए समस्त सुझावों को ध्यान में रखा जाए।

डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी) द्वारा अध्यक्ष महोदय, सदस्यों तथा विशेष आमंत्रित सदस्यों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक समाप्त हुई।

अनुबंध VI

प्रतिभागियों की सूची

1. डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअप समिति के अध्यक्ष
2. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक, एनडीआरआई, करनाल
3. डॉ. एस.एन. पुरी, वीसी, सीएयू, इम्फाल
4. डॉ. ए.के. सिंह, आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर
5. डॉ. एस.एल. मेहता, पूर्व कुलपति, एमपीयूए एवं टी, उदयपुर
6. डॉ. सुरेश होन्नापागोल, सहायक महानिदेशक (ईक्यूमआर), भाकृअप, नई दिल्ली
7. डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी), भाकृअप, नई दिल्ली
8. प्रो. बी.के. कंवर, कुलपति, नागालैंड विश्वविद्यालय (सेंट्रल), लुमामी-नागालैंड
9. प्रो. एस.एस. मूर्ति, कुलपति, केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय गुलबर्गा
10. डॉ. अखिलेश गुप्ता, सचिव, यूजीसी, नई दिल्ली
11. डॉ. ए.के. सिक्का, उप-महानिदेशक (एनआरएम), भाकृअप, कैब-II, पूसा, नई दिल्ली
12. डॉ. डी. रामा राव, कार्यवाहक उप-महानिदेशक (अभि.), भाकृअप, कैब-II, पूसा, नई दिल्ली
13. डॉ. एच.एस. गुप्ता, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
14. डॉ. प्रो. एस.एम. इशतियाक, टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी विभाग, आईआईटी, नई दिल्ली
15. प्रो. पी.बी.एस. भदौरिया, अध्यक्ष, कृषि एवं खाद्य अभियांत्रिकी विभाग, आईआईटी, खड़गपुर
16. डॉ. वी.पी. चहल, प्रधान वैज्ञानिक, कृषि विस्तार, भाकृअप, नई दिल्ली।

अनुबंध VII

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

शिक्षा प्रभाग, कृषि अनुसंधान भवन, नई दिल्ली-110012

दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 को प्रातः 10.30 बजे समिति कक्ष संख्या 419ए, बागवानी प्रभाग, भाकृअप, कृषि अनुसंधान भवन-2, पूसा, नई दिल्ली में संपन्न केन्द्रीय कृषि विद्यालयों की स्थापना के लिए विस्तृत दिशनिर्देश तैयार करने से संबंधित समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव डेयर एवं महानिदेशक भाकृअप की अध्यक्षता में दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने से संबंधित समिति की तीसरी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

1.	डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअप	अध्यक्ष
2.	डॉ. अरविंद कुमार, उप-महानिदेशक (शिक्षा), भाकृअप, नई दिल्ली	सदस्य
3.	डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, निदेशक, एनडीआरआई, करनाल	सदस्य
4.	डॉ. एस.एन. पुरी, कुलपति, सीएयू, इम्फाल	सदस्य
5.	डॉ. ए.के. सिंह, आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर	सदस्य
6.	डॉ. एस.एल. महता, पूर्व कुलपति, एमपीयूए एवं टी. उदयपुर	सदस्य
7.	डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी) प्रभारी	सदस्य सचिव

डॉ. सुरेश होन्नापागोल, सहायक महानिदेशक (ईक्यूआर), भाकृअप, नई दिल्ली, सदस्य अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक, (एचआरडी) एवं सदस्य सचिव ने सर्वप्रथम समिति के सदस्यों का स्वागत किया तथा दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, यूजीसी तथा एमएचआरडी के प्रतिनिधियों वाली समिति के द्वारा विचार विमर्श किए गए मुख्य विषयों का सार प्रस्तुत किया।

समिति के अध्यक्ष डॉ. पंजाब सिंह ने सदस्यों का स्वागत करते हुए परामर्श बैठक के दौरान उत्पन्न मुद्दों पर कार्रवाई के लिए सदस्यों की सराहना की। इन्होंने महसूस किया कि प्रस्तोवित बुंदेलखंड केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मॉडल एक्ट के दिशानिर्देश की संरचना तैयार की जाए।

डॉ. अरविंद कुमार, उप-महानिदेशक (शिक्षा) द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश की संरचना शीघ्र तैयार करने पर बल दिया। इनका विचार था कि केन्द्रीय कृषि विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य भारतीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाया। इन्होंने सुझाव दिया कि प्रस्तावना वाले अनुच्छेद में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के मौजूदा संवैधानिक प्रावधान को शामिल किया जाए।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात समिति की रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित मुददे सामने आये हैं:

1. प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्रों में सीएयू स्थापित किया जाए तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए 5-6

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाए और प्रत्येक विश्वविद्यालय में क्षेत्र की विशेषताओं पर बल देने के साथ-साथ सिर्फ पांच-छः संकाय होने चाहिए।

2. समिति ने यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय द्वारा पहले पीजी और पीएचडी कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं तथा बाद में यूजी कार्यक्रम को शामिल किया जाए। संकाय की भर्ती के लिए आदर्श दिशानिर्देश तैयार किए जाएं और इनब्रीडिंग से बचने के लिए राज्य से बाहर के संकाय की न्यूनतम संख्या का प्रावधान किया जाए।
3. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य भारतीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाना होना चाहिए। विश्वविद्यालय का नाम केन्द्रीय कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय होना चाहिए।
4. विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र के साथ-साथ स्पष्ट कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र और इसका नियमित सुधार शामिल किया जाए। स्पष्ट कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र के पांच से छः प्राथमिकता वाले क्षेत्र की पहचान की जाए। अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध किया कि डॉ. ए.के. सिंह, कुलपति, जेएनकेवीवी, जबलपुर द्वारा इनपुट प्रदान किए जाए।
5. **शैक्षणिक कार्यक्रम, अधिकार और जिम्मेवारियां:** विश्वविद्यालय बहु-संकाय वाला होना चाहिए और पहले पीजी/पीएचडी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाए और बाद में यूजी कार्यक्रम को शामिल किया जाए। शैक्षणिक कार्यक्रमों में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने पर जोर दिया जाए और कृषि के प्रासांगिक अग्रणी विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास के महत्व पर जोर दिया जाए।
6. **विश्वविद्यालय स्वायत्ता: शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय:** विश्वविद्यालय को आईआईटी/आईआईएम की भांति पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करने के साथ-साथ समय-समय पर समीक्षा का अधिकार दिया जाए। मॉडल एक्ट में स्वायत्ता की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से निरुपित किया जाए।
7. समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विकसित किए जाने वाले दिशानिर्देशों में **अभिशासन ढांचा, परिवेश तथा बुनियादी ढांचा, स्थापना की विधि, संकाय भर्ती और कार्मिकों की सेवा शर्तों** को शामिल किया जाए।
8. **प्रतिस्पार्धा के लिए आईआईटी, आईआईएम तथा सीयू की बेहतर विधियां:** बेहतर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की प्रतिस्पर्धात्मक बेहतर विधि के माध्यम से अपनी गुणवत्ता और उत्कृष्टता की प्रासंगिकता के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों हेतु कम से कम 10 बेहतर विधियों का उल्लेख किया जाए ताकि इन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके और सभी को समान स्तर पर काम करने का अवसर प्रदान किया जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक, एनडीआरआई को इनपुट प्रदान करने का अनुरोध किया गया।
9. **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग:** संकाय आदान-प्रदान, छात्र आदान-प्रदान, संसाधन आदान-प्रदान, ऋण अंतरण, संयुक्त सुविधाएं आदि। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, संकाय आदान-प्रदान, छात्र आदान-प्रदान, संसाधन आदान-प्रदान, ऋण अंतरण, संयुक्त सुविधाएं आदि में गुणवत्ता और उत्कृष्टता के विश्लेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क कायम किया जाए।

यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों का मॉडल प्रारूप तैयार किया जाए और अगली बैठक के आयोजन से पहले सभी सदस्यों को परिचालित किया

जाए। डॉ. पंजाब सिंह, अध्यक्ष द्वारा समिति के सभी सदस्यों को हिस्सा लेने तथा मूल्यवान योगदान देने के लिए करते हुए बैठक समाप्त की गई।

डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी), द्वारा अध्यक्ष महोदय, सदस्यों तथा विशेष आमंत्रित सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए बैठक समाप्त की गई।

अनुबंध - VII

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

शिक्षा प्रभाग, कृषि अनुसंधान भवन,

नई दिल्ली-110012

दिनांक 19 मार्च, 2014 को प्रातः 10.30 बजे समिति कक्ष संख्या 205, शिक्षा प्रभाग, भाकृअप, कृषि अनुसंधान भवन-2, पूसा, नई दिल्ली में संपन्न केन्द्रीय कृषि विद्यालयों की स्थापना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने से संबंधित समिति की चौथी बैठक का कार्यवृत्त।

डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव डेयर एवं महानिदेशक भाकृअप की अध्यक्षता में दिनांक 19 मार्च, 2014 को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने से संबंधित समिति की चौथी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

1.	डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअप	अध्यक्ष
2.	डॉ. अरविंद कुमार, उप-महानिदेशक (शिक्षा), भाकृअप, नई दिल्ली	सदस्यत
3.	डॉ. एस.एन. पुरी, कुलपति, सीएयू, इम्फाल	सदस्य
4.	डॉ. ए.के. सिंह, आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर	सदस्य
5.	डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी) प्रभारी	सदस्य सचिव

डॉ. एस.एल. मेहता, पूर्व कुलपति, एमपीयूए एडं टी, उदयपुर और डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक एनडीआरआई, सदस्य, अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

बैठक के प्रारंभ में डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी), सदस्य सचिव द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए दिशानिर्देशों के शून्य प्रारूप के मुख्य मुद्दों का संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया।

समिति के अध्यक्ष डॉ. पंजाब सिंह द्वारा सदस्यों का स्वागत करते समय सहायक महानिदेशक (एचआरडी) द्वारा तैयार किए गए शून्य प्रारूप की सराहना की गई। इन्होंने इस प्रारूप के संबंध में समिति के सदस्यों से इनपुट/ सुझाव आमंत्रित किए।

गहन विचार-विमर्श के बाद मॉडल दिशानिर्देश के प्रथम प्रारूप तैयार करने के लिए अध्यक्ष महोदय तथा समिति के अन्य सदस्यों से प्राप्त अनेक इनपुट/सुझावों को दर्ज किया गया। सदस्यों से प्रथम प्रारूप में शामिल करने के लिए शून्य प्रारूप के संबंध में अतिरिक्त टिप्पणियां शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने प्रथम प्रारूप शीघ्र तैयार करने तथा अंतिम प्रारूप में समिति के सदस्यों के सुझावों/ टिप्पणियों को शामिल करने के लिए इसे शीघ्र समिति के सभी सदस्यों परिचालित करने का अनुरोध किया गया। डॉ. पंजाब सिंह द्वारा अंत में समिति के सभी सदस्यों को बैठक में हिस्सा लेने तथा अपना मूल्यवान योगदान देने के लिए धन्यवाद दिया गया।

डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी), द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए बैठक समाप्त की गई।

अनुबंध VIII

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

शिक्षा प्रभाग, कृषि अनुसंधान भवन, नई दिल्ली-110012

दिनांक 25 जून, 2014 को दोपहर 02.30 बजे समिति कक्ष संख्या 205, शिक्षा प्रभाग, भाकृअप, कृषि अनुसंधान भवन-2, पूसा, नई दिल्ली में संपन्न केन्द्रीय कृषि विद्यालयों की स्थापना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने से संबंधित समिति की पांचवी बैठक का कार्यवृत्ति।

डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव डेयर एवं महानिदेशक भाकृअप की अध्यक्षता में दिनांक 25 जून, 2014 को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने से संबंधित समिति की पांचवी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

1.	डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअप	अध्यक्ष
2.	डॉ. अरविंद कुमार, उप-महानिदेशक (शिक्षा), भाकृअप, नई दिल्ली	सदस्य
3.	डॉ. एस.एन. पुरी, कुलपति, सीएयू, इम्फाल	सदस्य
4.	डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, निदेशक, एनडीआरआई, करनाल	सदस्य
5.	डॉ. एस.एल. मेहता, पूर्व कुलपति, एमपीयूए एवं टी. उदयपुर	सदस्य
6.	डॉ. आलोक झा, सहायक महानिदेशक (ईक्यू आर), भाकृअप, नई दिल्ली	सदस्य
7.	डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी) प्रभारी	सदस्य सचिव

डॉ. ए.के. सिंह, आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर, सदस्य अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

बैठक के प्रारंभ में डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी) एवं सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्यों को स्वागत किया गया तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश के प्रथम प्रारूप के मुख्य मुद्दों का सार प्रस्तुत किया गया और समिति के विचारार्थ विषयों को ध्यान में रखते हुए प्रथम प्रारूप की गहन जांच करने के लिए समिति से अनुरोध किया गया। इन्होंने डॉ. आलोक झा, सहायक महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) अतिरिक्ति कार्यभार सहायक महानिदेशक (ईक्यूआर) का समिति के सदस्य के रूप में स्वागत किया।

समिति के अध्यक्ष डॉ. पंजाब सिंह द्वारा सदस्यों का स्वागत करते हुए सहायक महानिदेशक (एचआरडी) द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की सराहना की गई तथा समिति के सदस्यों को प्रारूप में शामिल करने के लिए अपने मूल्यवान सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। इन्होंने अवगत कराया कि प्रारूप में सामान्यन दिशानिर्देशों को उचित रूप से विस्तृत किया जाए। इन्होंने समिति के सदस्यों से केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता तथा प्रासंगिकता के आकलन के लिए दिशानिर्देश बनाने पर गहन विमर्श करने का अनुरोध किया ताकि इन्हें रिपोर्ट में उचित रूप से समेकित किया जा सके।

समिति में मॉडल दिशानिर्देश के अंतिम प्रारूप को तैयार करने के लिए अनेक सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि रिपोर्ट को प्रस्तावना, एतिहासिक परिदृश्या, उद्देश्य,

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की आवश्यकता, प्रासंगिकता का आकलन और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के अभिशासन, शैक्षणिक, प्रशासन और संकाय की भर्ती से संबंधित सीएयू की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों के हिस्से में विभक्त किया जाए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सदस्यों से 10 जुलाई, 2014 तक अपने मूल्यवान सुझाव/टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया ताकि इन्हें सितम्बरर, 2014 में प्रस्तुत की जाने वाली अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जा सके। समिति का यह विचार था कि द्वितीय प्रारूप में सुधार के लिए सभी सदस्यों को इसकी प्रति परिचालित की जाए और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले अगली बैठक में सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझावों को शामिल किया जाए।

समिति द्वारा डॉ. कुसुमाकर शर्मा जो दिनांक 30 जून, 2014 को भाकृअप से सेवानिवृत्त हो रहे है, इनके द्वारा शिक्षा प्रभाग में सहायक महानिदेशक (एचआरडी) के पद पर रहते हुए किए गए सराहनीय कार्यों तथा उच्च कृषि शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए नीतिगत निर्देशों सहित अनेक कार्यक्रमों में मूल्यवान योगदान के लिए इनकी सराहना की गई। इसके अलावा, समिति द्वारा यह सिफारिश की गई कि डॉ. अरविंद कुमार और डॉ. कुसुमाकर शर्मा को समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक गैर–पदेन सदस्य के रूप में क्रमश: कुलपति, आरएलबीसीएयू, झांसी तथा पूर्व सहायक महानिदेशक (एचआरडी) के तौर पर समिति के सदस्यों के रूप में बनाए रखा जाए।

डॉ. कुसुमाकर शर्मा, सहायक महानिदेशक (एचआरडी), द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए बैठक समाप्त की गई।

अनुबंध IX

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

शिक्षा प्रभाग, कृषि अनुसंधान भवन,

नई दिल्ली-110012

दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को प्रातः 10.30 बजे समिति कक्ष संख्या 205, शिक्षा प्रभाग, भाकृअप, कृषि अनुसंधान भवन-2, पूसा, नई दिल्ली में संपन्न केन्द्रीय कृषि विद्यालयों की स्थापना के लिए विस्तृत दिशनिर्देश तैयार करने से संबंधित समिति की छटी बैठक की कार्यवृत्ति।

डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव डेयर एवं महानिदेशक भाकृअप की अध्यक्षता में दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने से संबंधित समिति की छटी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

1.	डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअप	अध्यक्ष
2.	डॉ. रमेश चन्द, उप-महानिदेशक (शिक्षा), भाकृअप, नई दिल्ली	सदस्य
3.	डॉ. ए.के. सिंह, आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर	सदस्य
4.	डॉ. कुसुमाकर शर्मा, पूर्व सहायक महानिदेशक (एचआरडी)	सदस्य
5.	डॉ. के.पी. त्रिपाठी, पीएस (ईक्यूआर) भाकृअप, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित

डॉ. एस.एन. पुरी, कुलपति, सीएयू, इम्फाल, डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक, एनडीआरआई, करनाल, डॉ. अरविंद कुमार, कुलपति, आरएलबीसीएयू, झांसी, डॉ. एस.एल. मेहता, पूर्व कुलपति, एमपीयूए एंड टी, उदयपुर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के दौरान बैठक में उपस्थित नहीं हुए। डॉ. जी. वैंक्टेश्वरलू, सहायक महानिदेशक (ईक्यूआर), भाकृअप, नई दिल्ली एवं सदस्य सचिव के स्थान पर डॉ. के.पी. त्रिपाठी ने बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक के प्रारंभ में डॉ. रमेश चन्द द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया। समिति के अध्यक्ष डॉ. पंजाब सिंह ने सदस्यों का स्वागत किया तथा डॉ. कुसुमाकर शर्मा द्वारा प्रारूप तैयार करने के लिए इनकी सराहना की गई। इनका विचार था कि समिति के सदस्यों और अन्य हितधारकों के बीच गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया प्रारूप केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेगा। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च कृषि शिक्षा के उद्देश्य और नीति को सफल बनाने में मदद मिलेगी। इन्होंने बैठक में समिति के सदस्यों को अंतिम प्रारूप की सावधानीपूर्वक जांच करने तथा प्रारूप में अपेक्षित त्रुटि को दूर करने का अनुरोध किया।

डॉ. ए.के. सिंह द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की कार्यात्मलक स्वायत्तता तथा वित्तीय प्रतिबद्धता के महत्व का उल्लेख किया इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय खोलने से पहले सरकार द्वारा इन पहलुओं पर प्रतिबद्धतता की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. कुसुमाकर शर्मा से अनुरोध किया गया कि प्रारूप को समिति के सदस्यों के अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाए तथा सदस्यों द्वारा अंतिम क्षण में दिए गए सुझावों को रिपोर्ट में शामिल किया जाए।

समिति द्वारा महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया तथा मॉडल दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। यह निर्णय लिया गया कि रिपोर्ट को पुन: सभी सदस्यों विशेषरूप से उन सदस्यों को परिचालित किया जाए जिन्होंने अपना फीडबैक देने के लिए बैठक में हिस्सा लिया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा नवम्बर, 2014 तक सदस्यों से किसी भी प्रकार के सुझावों की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया गया ताकि इन्हें दिसम्बर, 2014 में प्रस्तुत किया जा सके।

डॉ. के.पी. त्रिपाठी, पीएस (ईक्यूआर) भाकृअप, नई दिल्ली द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए बैठक समाप्त की गई।